भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल
की
बैठक

दस्तावेज

1. कार्यसूची तथा कार्यक्रम
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव की रिपोर्ट
4. संगठन पर...
5. सदस्यता तथा फण्ड की स्थिति
7. शोक प्रस्ताव
8. शहीदों को श्रद्धांजलि

18–21 अगस्त, 2009, तिरुपति, आंध्र प्रदेश

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

तिरुपति, आंध्र प्रदेश

18–21 अगस्त, 2009

कार्यक्रम

1. शोक प्रस्ताव; 2. अध्यक्षीय भाषण; 3. महासचिव की रिपोर्ट; 4. प्रस्ताव;
5. भावी कार्य; 6. अध्यक्ष की अनुमति से उठाया जाने वाला कोई अन्य विषय।

कार्यसूची

18.8.2009	02.00 बजे	जन सभा
19.8.2009	10.00 बजे	झण्डा रोहण
		शहीद बेदी पर माल्यार्पण
	10.30 से 12.00 बजे तक	अध्यक्षीय भाषण
		प्रस्ताव
	12.30 से 01.30 बजे तक	शोक प्रस्ताव
		महासचिव की रिपोर्ट
	01.30 से 04.00 बजे तक	भोजनावकाश
	04.00 से 05.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	01.30 से 04.00 बजे तक	भोजनावकाश
	04.00 से 05.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	06.00 से 07.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
20.08.2009	09.30 बजे से 11.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	12.00 बजे से 01.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	01.00 बजे से 03.30 बजे तक	भोजनावकाश
	03.30 बजे से 05.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	05.30 बजे से 07.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	07.00 बजे	सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की बैठक
21.08.2009	09.30 बजे से 10.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	11.00 बजे से 01.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का जवाब
	01.30 बजे से 04.00 बजे तक	भोजनावकाश
	04.00 बजे से 05.00 बजे तक	रिपोर्ट स्वीकार करना
		अध्यक्ष का समापन भाषण

नोटः चाय के लिए अवकाशः 19.08.2009 – दोपहर 12.00 से 12.30 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 06.00 बजे तक
20.08.2009 – दोपहर 11.30 से 12.00 बजे तक और शाम 5.00 बजे से 05.30 बजे तक
21.08.2009 – सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक
रात का खाना प्रतिदिन 08. 00 बजे होगा।

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

इस वर्ष जनवरी में मुम्बई में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक के बाद की अवधि में भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत बदलाव आ चुका है। इन बदलावों अथवा इस अवधि में घटित घटनाओं आंदोलन का नेतश्त्व करने के काम की हमारी योजनाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। हमें पूरी गम्भीरता से आत्म आलोचना करनी होगी ताकि बदली हुई स्थिति में जो चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, हम उनका मुकाबला कर सकें। इस बार हमें केवल रस्मी तौर पर ही घटनाओं की समीक्षा नहीं करनी है बल्कि खुद को तैयार बर तैयार रखना होगा ताकि संगठन में काफी लम्बे समय से पनप रहीं कमजोरियों को दूर करने के लिए हर सम्भव कार्रवाई करते हुए हम स्थिति को अपने पक्ष में बदलने के लिए हम दृढ़ कदम उठा सकें।

हमारे लिए अतीव प्रसन्नता का विषय है कि सीआइटीयू की स्थापना के समय से उसके उपाध्यक्ष चल रहे कामरेड ज्योति बसु ने हाल ही में कोलकाता में अपना 96वां जन्म दिवस मनाया हैं देश में वाम आंदोलन और सीआइटीयू के लिए उनका योगदान हम सब के लिए जबरदस्त महत्व रखता है। हम उनके दीर्घ जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं; वह इसी तरह श्रमिक वर्ग और भारत के मेहनतकश अवाम की सेवा करते रहे, यही हमारी कामना है।

पूंजीवाद की बढ़ती अक्षमता

विकसित पूंजीवादी देशों में सकल घरेलू उत्पाद में तीखी गिरावट आई है। यह भूमण्डलीय संकट का एक विशेष पहलू है। आइएमएफ के अनुसार पूरे विश्व में निरंतर बने हुए मूल्यों के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर में वर्ष 2008 की 3.2 के मुकाबले गिरावट आने और वर्ष 2009 में इसके 1.3 प्रतिशत रह जाने की सम्भावना है। तथापि विकसित देशों में जीडीपी की गिरावट कहीं अधिक तीखी है। वर्ष 2008 में उन देशों की जीडीपी की वृद्धि दर केवल 0.8 प्रतिशत थी किन्तु 2009 के दौरान इसमें गिरावट आने की सम्भावना है और यह 3.8 प्रतिशत पर अटक जाएगी। इस अवधि में विकासशील देशों की स्थिति अलग रही है। विकासशील देशों में वर्ष 2008 के दौरान इसमें 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी जबकि 2009 में इसमें 1.6 प्रतिशत की गिरावट आने की सम्भावना है। विकासशील देशों में अलग स्थिति के होने का प्रमुख कारण चीन और भारत की वृद्धि दर रहा है। उदाहरण के लिए चीन में, 2008 में जीडीपी में 9.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी जो 2009 में कम होकर 6.5 प्रतिशत रह गई। भारत में भी 2008 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और 2009 में यह कम होकर 4.5 प्रतिशत रह गई। विकासशील देशों पर जो प्रभाव पड़ा है वह मुख्य तौर पर विकासशील देशों से विकसित देशों में होने वाले निर्यातों में कमी आने के चलते हुआ है।

आर्थिक मंदी ने भूमण्डलीय स्तर पर व्यापार को भी प्रभावित किया है। वर्ष 2007 के दौरान भूमण्डलीय व्यापार में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी किन्तु 2008 में इसमें गिरावट आई और यह 3.3 प्रतिशत रह गया। तथापि, 2009 के दौरान इसमें 12 प्रतिशत की तीखी गिरावट आने की सम्भावना है। निर्यातों में कमी होने के कारण विकासशील देशों को बहुत नुकसान हुआ है।

अमरीका में बजट घाटा बहुत अधिक रहा। इसके फलस्वरूप बराक ओबामा प्रशासन के लिए गम्भीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने 26 फरवरी 2009 को अमरीकी कांग्रेस के पास 2009–10 का बजट भेजा था जिसमें 1.75 ट्रिलियन डालर का घाटा दर्शाया गया है। (एक अमरीकी डालर का मूल्य 50 रुपए के बराबर है और एक

बिलियन डालर का मूल्य 5000 करोड़ रुपए के बराबर है जबकि एक ट्रिलियन डालर का मूल्य 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है)। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात तथाकथित बेल–आउट पैकेजों की है जिनके परिणाम स्वरूप 2.6 ट्रिलियन डालर का शुद्ध ऋण लिया जाना है जो अमरीका के जीडीपी का 17.9 प्रतिशत है। वित्तीय व्यवस्था में नयी जान डालने के लिए और अधिक पैसा डालने का अर्थ है राजकोष के लिए 3 ट्रिलियन डालर की नयी मुद्रा छापनी होगी जिसके चलते अमरीका में मुद्रा स्फीति में और अधिक इजाफा हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं।

अमरीका की जुआरी अर्थव्यवस्था के पानी का बुलबुला फूट जाने के बाद शेयर बाजार को आर्थिक मंदी के कारण 6 ट्रिलियन डालर का नुकसान उठाना पड़ा है। तथापि, यह 2006 के बाद होने वाले नुकसान को देखा जाए तो यह 12 ट्रिलियन डालर तक जा पहुंचता है। इससे केवल संकट की गहराई का पता चलता है ये बड़ी–बड़ी बातें कि संकट थोड़े समय में ही दूर हो जाएगा, ख्याली उड़ान भरने के अलावा और कुछ नहीं हैं। अमरीका की 10 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अब केवल सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी पर निर्भर करती है।
जहां अमरीका का सार्वजनिक ऋण 10 ट्रिलियन डालर से ऊपर जा चुका है वहीं उसके चलते यह प्रभाव पड़ रहा है कि विश्व मुद्रा में गिरावट आ रही है। अमरीका के राजकोष में बांडस् के रूप में अकेले चीन की परिसम्पत्ति 1.3 ट्रिलियन डालर की है और उसे अपनी परिसम्पत्तियों की चिंता सताने लगी है। ओबामा ने चीन को अमरीकी परिसम्पत्तियों की वैधता को बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। विश्व की दूसरी प्रमुख मुद्रओं जैसे यूरो, पौंड स्टर्लिंग तथा येन इत्यादि के मूल्य डालर की तुलना में बढ़ रहे हैं। इसलिए चीन विश्व की नयी मुद्रा बनाने की मांग कर चुका है और वह मांग कर रहा है कि उसे आइएमएफ सत्ता के अन्तर्गत पैसा निकालने के विशेष अधिकार दिए जाएं।
युरोपीय संघ के नए सदस्य देशों को भी अपनी मुद्राओं के मामले में इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जर्मन समाचार पत्र स्युडेनत्शे जीटंग के विदेशी मामलों के सम्पादक स्टीफन कोर्नेलियस ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "हम राजनीतिक संघ के बिना मौद्रिक संघ नहीं बना सकते और न ही हमारे पास केवल एक मुद्रा है। कोई संयुक्त वित्तीय नीति भी नहीं है, न संयुक्त कराधान नीति है, न ऐसी संयुक्त नीति है जिसके द्वारा यह निश्चय किया जा सके कि कौन से उद्योग को सब्सिडी दी जाए और किसे न दी जाए। और कोई भी नेता इतना मजबूत नहीं है जो दूसरों को दलदल से बाहर निकालने की क्षमता रखता हो।" उनकी टिप्पणी पूरी पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अस्थिरता की स्थिति को दर्शाती है।

विश्वव्यापी रोजगार क्षतियां

भूमण्डलीय आर्थिक संकट के परिणाम के रूप में रोजगार क्षतियां पूरी दुनिया में एक सामान्न घटनाक्रम बन गया है। आइएलओ के एक अध्ययन के अनुसार 2009 के अंत तक विश्व में रोजगार क्षतियां चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ जाएंगी और ये पांच करोड़ के आंकड़े को छूने लग जाएंगी। अकेले अमरीका में मंदी के चलते बेरोजगारों की संख्या 51 लाख से ऊपर हो चुकी है जबकि 26 लाख लोगों ने तो अपना रोजगार पिछले चार महीनों में ही खोया है। अमरीका में कुल बेरोजगारी एक करोड़ 32 लाख हो गई है जो पिछले 25 वर्षो में सबसे अधिक है।

आइएलओ रिपोर्ट के अनुसार युरोप में बेरोजगारी की बढ़ोतरी विभिन्न देशों में अलग अलग है। (जर्मनी में 8.5 प्रतिशत, ब्रिटेन में 6.5 प्रतिशत, फ्रांस में 8.2 प्रतिशत, इटली में 6.9 प्रतिशत, स्पेन में 13.8 प्रतिशत बेरोजगारी 2008 के अंत तक थी)। 2009 में इसमें और उछाल आने की सम्भावना है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2010 के मध्य तक बेरोगारी की दर ब्रिटेन में 9.5 प्रतिशत और जर्मनी में 10.5 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है।
एशियाई देशों में 2009 के अंत तक रोजगार क्षति 72 लाख हो जाएगी। कुल बेरोजगारी 9 करोड़ 70 लाख होने की आशंका है। दुबई में जहां काम करने वाले 90 प्रतिशत श्रमिक विदेशी मूल के हैं, वहां लाखों मजदूरों को रोजगार क्षति का मुंह देखना पड़ रहा है और इसके चलते वे गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। अनके मजदूर देश छोड़ कर जा चुके हैं क्योंकि वे लिए गए कर्ज उतारने की हालत में नहीं थे और उन्हें वहां के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत दण्ड मिलने का भय सता रहा था।

आइएलओ की ओर से विभिन्न सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर आंकड़े तैयार किए गए हैं। तथापि, बेरोजगारी का असल आंकड़ा तो दिए गए आंकड़ों से कहीं अधिक है। अधिकांश मामलों में प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारों की सूची में दर्ज नहीं किया जाता। उनकी बड़ी संख्या रोजगार खो रही है किन्तु उसे सरकारी आंकड़ों में दिखाया नहीं जाता।
भारत में आर्थिक मंदी के चलते 2009 के अंत तक रोजगार क्षतियों की संख्या 30. लाख से अधिक हो जाने की आशंका है। वाणिज्य सचिव के अनुसार वर्ष 2008 के मध्य से निर्यात आदेशों में कमी आने के कारण रोजगार क्षतियों की संख्या 25 लाख हो गई थी।

क्या भूमण्डलीय संकट खत्म हो गया है?

कुछ बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों की ओर से पूंजीवादी संकट को कम करके देखने का प्रयास किया जा रहा है। वे इसे केवल वित्तीय संस्थानों के कुछेक मुखियों के लालच का परिणाम बता रहे हैं। तथापि, अनेक अर्थशास्त्रियों ने उनके विचार का घोर विरोध किया है। फायनांशल टाइम्स के 11 अप्रैल 2009 के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा गया है, "भूमण्डलीय संकठ ने देशों और पुराने संस्थानों का दिवाला निकाल दिया है, जिन संस्थाओं के ब्रांड कभी बेहद शक्तिशाली माने जाते थे, उन्हें धाराशायी कर दिया है और जो सम्पदा कई पीढ़ियों की मेहनत से बनी थी, उसे बर्बाद कर दिया है। साम्राज्यवादी नेतृत्व के काम करने की शैली यही है।"
यह संकट एक ध्रुवीय विश्व की मूल अवधारणा को ही तार–तार करके रख देगा और बहुध्रुवीय विश्व की बुनयादों को मजबूत करेगा और इसके चलते खुद अमरीका की दादागिरि को खतरा पैदा हो चुका है।

भारत के प्रमुख अर्थ शास्त्री प्रोफैसर प्रभात पटनायक ने संक्षिप्त शब्दों में इसका वर्णन कुछ इस तरह किया है, "....यह संकट केवल मंदी का संकट नहीं है जैसा कि आम तौर कहा जाता है। वास्तव में वर्तमान विश्व पूंजीवादी संकट इस तरह का है कि इसका केवल एक पहलू उजागर नहीं होता बल्कि यह कुछ अलग रूप में ही उभर कर सामने आता है। मंदी तो बस उसका एक स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है। यदि मंदी घर कर जाती है तो इस संकट का अलग रूप होगा जो तीखी मुद्रास्फीति है और विशेष तौर पर यह संकट ऊर्जा एवं खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में दिखाई देता है और इस रूप में यह संकट मंदी से पहले भी उभर कर सामने आ चुका है।"

जब भारत सरकार बीमा उद्योग के निजीकरण के लिए आगे के कदम उठा रही है तब वह इस वास्तविकता की पूरी तरह अनदेखी कर रही होती है कि अमरीका सरकार की ओर से विश्व की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी एआइजी का अब 80 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण किया गया है। इस कम्पनी का काम 130 देशों में चल रहा है और उसके ग्राहकों की संख्या 7.4 करोड़ है। जहां उसकी आय 2 ट्रिलियन डालर है वहीं उसके शेयर का मूल्य 46 प्रालर से गिर कर केवल 42 सैंट अथवा उसके वास्तविक मूल्य के 1 प्रतिशत भाग से भी कम रह गया है। अमरीका की इस विशाल कम्पनी का धाराशायी हो जाना यूपीए सरकार के लिए सबक है। तथापि, डाक्टर मनमोहन सिंह आइएमएफ तथा विश्व बैंक के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने भूमण्डलीय वास्तविकताओं की ओर से अपनी आंखें मूंद रखी हैं।

आइएमएफ के अनुमानों के अनुसार अमरीका में वित्तीय दैवों के लिए बेल–आउट पैकेजों का बोझ अमरीका के कर दाताओं पर पड़ेगा जो प्रति व्यक्ति 6200 डालर है। नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफैसर जोसेफ स्टिगलित्ज ने ओबामा के बेल–आउट पैकेजों की व्याख्या कुछ इस तरह की है, "अमरीका के लोगों की जेबों पर डाका डालना।"
युनेस्को के अनुसार अफ्रीका में निर्धनतम लोगों के जीवन स्थितियों में 20 प्रतिशत की गिरावट आ जाएगी। निवेशों के प्रवाह में कमी होने के कारण सब–सहारा अफ्रीका के लोगों को 18 बिलियन डालर की शुद्ध क्षति झेलनी पड़ेगी जो प्रति व्यक्ति 46 डालर निकलती है। इसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र के लोगों में भुखमरी बढ़ जाएगी।

निकट भविष्य में युरोप की स्थिति बद से बदतर होने की सम्भावना है। सरकारी अनुमानों के अनुसार युरोपीय देशों का कुछ बजट घाटा जीडीपी का 5.7 प्रतिशत हो जाएगा और वर्ष 2010 में यह बढ़ कर 7.10 प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार सभी युरोपीय देशों का सार्वजनिक ऋण 2009 में बढ कर जीडीपी का 75.7 प्रतिशत हो जाने

की सम्भावना है। इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी और यह जीडीपी का 81.4 प्रतिशत हो जाएगा।
एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भूमण्डलीय वित्तीय संस्थानों की परिसम्पत्तियों के मूल्य में गिरावट आने का अनुमान लगाया है। उसके अनुसार ये संस्थान अपनी परिसम्पत्तियों के मूल्यों में 50 ट्रिलियन डालर की कमी आ गई है। यह केवल एक वर्ष में हुआ है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि विश्व में भूमण्डलीयकरण के दौर में जो अर्थव्यवस्थाएं बुलबुले की तरह फूल गई थीं उनकी हवा निकल जाएगी।

लातिनी अमरीका में जन उभार

पूरे लातिनी अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं ओर अधिकांश देशों में चल रहे जन आंदोलन अमरीकी साम्राज्यवाद के दखल और हथकण्डों के खिलाफ अपनी जोरदार आवाज बुलंद कर रहे हैं।

हांडुरस में लोगों की ओर से 2005 में चुने गए राष्ट्रपति जोसे मैन्युअल जिलेया का तख्ता अमरीका की हिमायत प्राप्त सेना ने पलट दिया। उनका तख्ता इसलिए पलटा गया क्योंकि वह क्यूबा तथा वेनजुएला के नेतृत्व वाले बोलिवियन आलटरनेटिव फार अमेरिका (एएलबीए) में शामिल हो गए थे जो लातिनी अमरीका तथा कैरेबियन के लिए स्वतंत्र नीति अथवा मार्ग पर चल रहा है। हांडुरस में एक शक्तिशाली जन आंदोलन का निर्माण हुआ है जिसे अमरीकी देशों के संगठन (ओएएस) का समर्थन हासिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इसे व्यापक समर्थन हासिल हुआ है। महासभा ने सर्वसम्मति से हांडुरस के राष्ट्रपति के रूप में जिलेया को बहाल करने की मांग की है। तथापि बराक ओबामा प्रशासन लगातार तख्ता पलट करने वाले लोगों को अपना वित्तीय समर्थन दे रहा है किन्तु लातिनी अमरीका के लोग इसका पूरी दृढ़ता से प्रतिकार कर रहे हैं।

एक और लातिनी अमरीकी देश पेरू में वहां की कुछ अढ़ाई करोड़ जनसंख्या में अपने अधिकारों के लिए शक्तिशाली उभार देखने को मिल रहा है। उसकी बहुसंख्य जनसंख्या देशी मूल की है। इस जन उभार के परिणामस्वरूप वहां की संसद ने राष्ट्रपति अलेन ग्रेशिया के नेतृत्व वाली अमरीकी कठपुतली सरकार की ओर से 19 जून 2009 को जारी किए गए पैशाचिक आदेश को रद्द कर दिया है। देश में आपाकाल लागू होने और सैंकड़ों लोगों को मार दिए जाने के बावजूद जन आंदोलन सफल रहा है और इसके कारण राष्ट्रपति तथा उसकी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देने की पेशकश करनी पड़ी है। यह लातिनी अमरीकी देशों में अमरीका की धिनावनी खेल के लिए एक जबरदस्त धक्का है।

बोलिविया में अमरीका द्वारा प्रायोजित प्रतिपक्ष ने संसद में नए संविधान तथा राष्ट्रीयकरण के ईवा मोरालेस के कार्यक्रम को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। मोरालेस इसके खिलाफ 19 जून 2009 को अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल पर बैठे। उनके पक्ष में देश भर के लोग लामबंद हुए और उनमें भारी आक्रोश पैदा हुआ जिसके चलते 14 अप्रैल 2009 का संविधान संसद में पारित करना पड़ा। ईवा मोरालेस ने लोगों को बताया कि परिवर्तन के लिए संघर्ष की जरूरत है और जन शक्ति के द्वारा ही क्रांतिकारी प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है, उन्हें यह बात भूलनी नहीं चाहिए।
एक्वाडोर में पिछले 30 वर्षों में पहली बार वाम पंथी नेता राफेल कोरीया मतगणना के पहले दौर में ही देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। उनकी सरकार ने विदेशी कम्पनियों पर टैक्स लगाया है और गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी की है। नयी सरकार ने आइएमएफ, विश्व बैंका तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों की नीतियों की निंदा की है। कोरीया ने एक्वाडोर की धरती पर अमरीका के सैनिक अड्डे के लिए पहले दिए गए पट्टे का नवीकरण करने से इन्कार कर दिया और देश में गड़बड़ फैलाने के आरोप में अमरीकी कूटनीतिज्ञों को देश से बाहर निकाल दिया है।
एल सलवाडोर में हाल ही में सम्पन्न चुनावों में वाम पंथी एफएमएलएन ने राष्ट्रपति के चुनाव में विजय हासिल की और क्यूबा के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने का फैसला किया है। उसने देश में जन पक्षीय आर्थिक नीतियां अपनाने और भूमण्डलीयकरण की नीतियों का विरोध करने का भी फैसला किया है।
अमरीकी देशों के संगठन (ओएएस) और शिखर सम्मेलन में अमरीकी साम्राज्यवादियों का अलग–थलग पड़ जाना

साफ दिखाई देता है। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अप्रैल मास में त्रिनीडाड में हुआ था। शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करने वाले लगभग सभी वक्ताओं ने क्यूबा के साथ सम्बन्ध बहाल करने की मांग की थी और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने के कारण बराक ओबामा को क्यूबा की यात्रा पर लगे अंकुश कम करने की घोषणा करनी पड़ी थी। तथापि, उन्होंने पांच दशकों से क्यूबा की चल रही आर्थिक नाकाबंदी पर एक शब्द कहने की जरूरत महसूस नहीं की।

त्रिनीडाड शिखर सम्मेलन से पहले वेनजुएला, क्यूबा, बोलीविया, निकारागुवा, हांडुरास और डोमिनिका पर आधारित बोलिवारन आलटरनेटिव आफ अमेरिका (एएलबीए) की बैठक हुई जिसमें बिना किसी बाहरी शर्त के आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया।

श्रमिक वर्ग का आंदोलन

विकसित पूंजीवादी देशों में इस अवधि के दौरान संघर्ष की जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई, वह 19 मार्च 2009 को फ्रांस के मजदूरों की ओर से की गई शक्तिशाली हड़ताल की थी। इस हड़ताल का नेतृत्व सीजीटी ने किया था। यह हड़ताल राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के उस रुख के खिलाफ की गई थी जो वह फ्रांस के वित्तीय संकट से निपटने के मामले में अपना रहे हैं। फ्रांस के लाखों मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लेकर पूंजीपतियों को दी जा रहीं भारी रियायतों का विरोध किया। हड़ताल का नेतृत्व करने वाले नेताओं का कहना था कि वर्तमान में मजदूर वर्ग की ओर से जिन कठिन स्थितियों का सामना किया जा रहा है, उनसे राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। पूरे फ्रांस में 213 से अधिक प्रदर्शन हुए जिनमें 30 लाख लोगों ने भाग लिया था। हड़ताल के कारण फ्रांस का जन जीवन पूरी तरह ठप्प हो गया। जन साधारण की ओर से हड़ताल को जबरदस्त समर्थन दिया गया।

जनवरी 2009 में पूंजीवाद समर्थक नीतियां अपनाए जाने के खिलाफ फ्रांस के बीस लाख से अधिक मजदूरों ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके वहां की सरकार को चेतावनी दी थी कि वह ऐसा करने से बाज आए।

हड़ताल की इस कार्रवाई से पहले कैरिबियन द्वीप समूह में फ्रांस के उपनिवेश गुआडेलोप में मजदूरों की ओर से जोरदार हड़ताल की गई जो 6 सप्ताह तक चली। वे मांग कर रहे थे कि उनके वेतन बढ़ाए जाएं, सामाजिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएअ और उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। फ्रांस सरकार ने हड़ताल का दमन करने के लिए दंगा निरोधक दस्ते के एक हजार पुलिस कर्मचारियों को भेजा किन्तु वे श्रमिकों को हड़ताल करने से रोक नहीं सके। आखिरकार सरकार को मजदूरों की मांगों का समाधान करना पड़ा।

पूरे फ्रांस के विश्वविद्यालयों में 2 फरवरी 2009 को सरकोजी सरकार के उस आदेश के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल की गई जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी विधायी शर्तों, सेवा स्थितियों में बदलाव लाने के अधिकार विश्वविद्यालयों को दिए जाने इत्यादि से सम्बन्ध रखता था। विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय परिषद की ओर से शिक्षकों, शोध कार्य में लगे छात्रों और कर्मचारियों के न्यायोचित संघर्षों का समर्थन किया गया।

इस वर्ष की मई दिवस रैलियों में कर दाताओं के धन की कीमत पर पूंजीपतियों को बेल–आउट देने का विरोध प्रतिबिम्बित हुआ है। विश्व के विभिन्न भागों में रैलियों में शामिल लोगों को पुलिस दमन का सामना करना पड़ा। तुर्की की पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों और दूसरे लोगों को तीतर–बीतर करने के लिए उन पर पानी के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, गोली चलाई गई। पुलिस ने 68 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की के लोगों में असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। देश के प्रत्येक तीन नौजवानों में से एक नौजवान बेरोजगार है।

ब्रिटेन में, जर्मनी के हैमबर्ग में मजदूरों की ओर से मई दिवस के अवसर पर पूंजीवाद के विरोध में नारे लगाए गए और अनेक स्थानों पर उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई।

एथेंस में पुलिस की ओर से मई दिवस रैली पर गोली चलाई गई। देश के एक प्रमुख ट्रेड यूनियन ने एक बैनर उठा रखा था जिस पर लिखा था, "हम आपके संकट की कीमत नहीं चुकाएंगे।" प्रदर्शन में 6000 लोगों ने भाग

लिया जबकि उनके खिलाफ 4000 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए थे। भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ पूरे ग्रीस में अनेक रैलियों का आयोजन किया गया।
जिनेवा में 1 फरवरी को 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के नजदीक प्रदर्शन करके विश्व आर्थिक मंच के लिए अपने विरोध को व्यक्त किया जो पूंजीवाद एवं नैगम भूमण्डलीयकरण का द्योतक है और जिसकी बैठक स्विटजरलैंड के दावोस में हुई थी।

स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी थी। लोगों ने पाबंदी की धज्जियां उड़ा कर यह प्रदर्शन किया। पुलिस ने निषेधाज्ञा भंग करने के आरोप में अनेक श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। लोग नारे लगा रहे थे, "पुलिस हर ओर पर न्याय कहीं नहीं।" "समस्या का एकमात्र समाधान–क्रांति।" जब लोगों की भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस ने लोगों को डण्डों से पीटना शुरू कर दिया। बाद में उसकी ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए।

आईसलैंड में अनुदारवादी सरकारों की नीतियों के खिलाफ जनवरी के पहले सप्ताह में बार–बार प्रदर्शन होने के कारण वहां की सरकार धाराशायी हो गई ओर प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके स्थान पर जन पक्षीय निगरान सरकार का गठन हुआ। यद्यपि देश की जन संख्या साढ़े तीन लाख से कम है इस पर भी सरकार की ओर से देश के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तीन महीने के भीतर नयी सरकार का निर्वाचन करने के लिए चुनाव होंगे।
लातविया तथा एस्तोनिया में भी मजदूरों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाने के कारण सरकारें धाराशायी हो गई हैं। अमरीका, इटली, स्पेन, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स तथा अर्जेन्टाईना में हड़ताल की कार्रवाईयों सहित लगातार विशाल प्रदर्शन किए गए। पीपुल्स वीकली वर्ल्ड ने इसका उल्लेख कुछ इस तरह किया है, "ज्यों–ज्यों संकट फैल रहा है और गहरा होता चला जा रहा है त्यों–त्यों विरोध की कार्रवाईयां बढ़ने की सम्भावना है और विश्व अर्थव्यवस्था में अर्थपूर्ण संरचनात्मक बदलाव के लिए भूमण्डलीय स्तर पर ये कार्रवाईयां तेज होती चली जाएंगी।"
डबलिन (आयरलैंड) में अनिवार्य छटनी के खिलाफ गोदी मजदूरों की ओर से हड़ताल की गई। उनकी ओर से इसकी खिलाफ बहादुरी के साथ संघर्ष किया गया। मजदूरों तथा उनके परिवारों के सदस्यों 28 जुलाई 2009 को हड़ताली मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया।

इस अवधि के उल्लेखनीय संघर्षों में वेतनों का भुगतान न होने और यदि होता है तो देर से होता है, के खिलाफ पेनिसिलवेनिया राज्य के मजदूरों का संघर्ष है। यूके में फुजित्सी के कर्मचारियों ने पेन्शन लाभों में कटौती के खिलाफ संघर्ष चलाया; गेरदाउ मजदूरों ने ओवर टाईम और बोनस का भुगतान न होने के खिलाफ संघर्ष किया और निर्माण मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी के लिए संघर्ष किया है।
इस तरह के अनेक संघर्ष पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ये संघर्ष बढ़ते चले जा रहे है। इससे यही संकेत मिलता है कि मजदूरों के संघर्ष सभी महाद्वीपों में नया मोड़ ले रहे हैं। आने वाले दौर में संकट के गहरा होने के साथ–साथ ये संघर्ष भी तेज होते चले जाएंगे।
भारत में भी, मजदूरों के जीवन स्तर पर तीखा हमला होने के कारण संघर्ष बढ़ रहे हैं। ये संघर्ष भूमण्डलीयकरण के दुष्प्रभावों के खिलाफ चल रहे संघर्षो का ही एक भाग हैं।

फलस्तीन के साथ गद्दारी

इस्राइल में 20 फरवरी को नेतनयाहू के नेतश्त्व में नयी गठबंधन सरकार की स्थापना हुई है। इस सरकार ने फलस्तीन की जनता के खिलाफ आक्रमक नीतियां अपना रखी हैं। विश्व समुदाय की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वह लगातार गाजा पट्टी के निहत्थे नागरिकों के खिलाफ प्राण घातक फासफोरस का उपयोग कर रही है। यद्यपि उस इलाके में इस्राइली बस्तियों की संख्या न बढ़ाए जाने के बारे में बातचीत लगातार जारी है पर इस पर भी फलस्तीनी लोगों को उनके घरों तथा इलाकों से बेरोकटोक उजाड़ा जा रहा है। ओबामा फलस्तीन की समस्या का समाधान करने के लिए कोरी बातें कर रहे हैं क्योंकि उन बातों का इस्राइल के यहूदीवादी शासकों

पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके परिणामस्वरूप फलस्तीन की जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। नसलवाद पर संयुक्त राष्ट्र शिखर वार्ता 20 अप्रैल को हुई थी जिसका अमरीका तथा उसके कुछ सहयोगियों ने इस आधार पर बहिष्कार किया कि इस वार्ता में इस्राइल की आलोचना की जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद ने इस्राइल की नसलवादी नीति, फलस्तीन में लोगों का नरसंहार करने और उनकी मातृभूमि गाजा पट्टी से उन्हें बेदखल किए जाने की कड़ी आलोचना की है।

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति

कुछ विशेष तरह की घटनाएं हो जाने के कारण भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति और अधिक जटिल होती चली जा रही है। अमरीकी साम्राज्यवादी स्थिति का लाभ उठा कर इन देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं।

पाकिस्तान की स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है। यद्यपि, अमरीकी दबाव के कारण अल कायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कुछ कदम उठाए गए हैं इस पर भी वहां आत्मघाती हमले बढ़ते चले जा रहे है।

यद्यपि, भारत तथा पाकिस्तान विवादित मुद्दों का समाधान करने के लिए बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं तथापि दोनों देशों द्वारा जारी किए गए संयुक्त वक्तवय में बलोचिस्तान का उल्लेख होने के कारण भारत में विशेष विवाद पैदा हो गया है। भाजपा तथा दूसरी साम्प्रदायिक ताकतें इस आधार पर पाकिस्तान के साथ बातचीत चलाने का विरोध कर रही हैं कि पाकिस्तान अब भी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है।

हम भारत तथा पाकिस्तान के बीच सार्थक बातचीत के पक्ष में हैं। यह बातचीत बिना किसी विदेशी दखल के होनी चाहिए और दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ कदम उठाने चाहिएं।

बंगला देश में शेख हसीना की निर्यायक जीत होने पर भी उस देश में प्रतिक्रियावादी ताकतें अब तक सक्रिय हैं।

बंगला देश की सीमा के प्रहरियों की ओर से वेतन, वेतनों में समानता और दूसरी मांगों के लिए अपने सैनिक आकाओं के खिलाफ 25–26 फरवरी को बगावत की गई। उन्होंने ढाका में शीर्ष कमांड के अधिकारियों पर घात लगा कर हमला किया जिसमें अनेक सेनिक अधिकारी मारे गए। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 77 लाशें बरामद की गईं और 6 अधिकारी लापता थे। इस बगावत में लगभग एक सौ लोगों ने भाग लिया था। हसीना सरकार ने इस स्थिति में अमरीका की एफबीआइ और यूके की स्काटलैंड यार्ड से मदद मांगी। यह मदद जांच के लिए मांगी ग़ई थी जिसकी सेना की ओर से आलोचना की गई।

बंगला देश में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हसीना सरकार के सामने देश में आर्थिक स्थिति को सुधारने की चुनौती विद्यमान है।

अफगानिस्तान में बराक ओबाम साम्राज्यवादी आक्रमण की जार्ज डब्ल्यू बुश की नीतियों को लागू कर रहे हैं। उन्होंने और 17000 सैनिक टुकड़ियों को वहां भेजा है जिसके परिणामस्वरूप वहां मौजूद नाटो सेनाओं की संख्या लगभग एक लाख हो गई है। तालिबान आतंकवादियों के आत्मघाती हमले बढ़ रहे हैं ओर उन्हें लगातार विकसित पूंजीवादी देशों से अत्यंत आधुनिक हथियार हासिल हो रहे हैं। नाटो सेनाओं की उपस्थिति के बावजूद हशीश का गैर कानूनी कारोबार बढ़ रहा है। नाटो सेनाओं के हमले में वर्ष 2008 के दौरान 2118 नागरिक मारे गए थे। इसके कारण अफगानी जनता में तीखा रोष पैदा हो रहा है। अमरीकी साम्राज्यवादियों लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जबकि भ्रष्ट करजई सरकार स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रही है। तालिबानी आतंकवादियों की ओर से 11 फरवरी 2009 को काबुल में न्याय मंत्रालय पर हमला किया गया। यह हमला दर्शाता है कि कितनी आसानी से आतंकवादी ताकतें काबुल में सरकार पर हमला कर सकते हैं।

किरगिज़स्तान की संसद ने 19 फरवरी को अमरीका की सेनिक टुकड़ियों के लिए अपने देश के मानस हवाई अड्डे के किवाड़ बंद करने का फैसला किया था जिसके चलते अमरीकी तथा उसके सहयोग नाटो देशों की सेनिक गतिविधियों में रुकावट आ गई है। नाटो और सीआइएस के बीच बढ़ रहे गतिरोध के कारण इस तरह की घटना घटी है।

नेपाल में प्रधान मंत्री पुष्प कुमार दाहल (प्रचण्ड) को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रपति आर पी यादव द्वारा नेपाली सेना के प्रमुख को उसके पद से बर्खास्त करने से इन्कार किए जाने के खिलाफ इस्तीफा दिया था। इसके फलस्वरूप पहले से अशांत इस देश में नया संकट पैदा हो गया। सीपीएन (माओवादी) क्योंकि संसद में सबसे बड़ा दल होने पर भी सत्ता से बाहर हो गया। (सीपीएन–यूएमएल) के नेता माधव कुमार नेपाल के प्रधान मंत्रित्व में नयी गठबंधन सरकार वहां सत्ता में आ गई है। इसके चलते यह समस्या पैदा हो गई है कि क्या वहा शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

माओवादियों ने शांति प्रक्रिया का पालन करने का आश्वासन दिया है। तथापि, उन्होंने एक विदेशी ताकत की भूमिका की आलोचना की है। इस तरह उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि नेपाल के आंतरिक मामलों में उसके दखल के चलते यह स्थिति पैदा हुई है।

नेपाल में 12 अप्रैल को 6 संसदीय सीटों के लिए चुनाव हुए थे जिनमें से 3 सीटों पर माओवादियों ने जीत हासिल की है।
नेपाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन लगातार बना हुआ है और वह लोकतांत्रिक समाधान के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रहा है।

श्रीलंका में लट्टे की ताकतों को सेनिक पराजय का सामना करना पड़ा है। इस पर भी वहां की तमिल जन संख्या न्यायपूर्ण समझौते की प्रक्रिया से बाहर है। तमिल शरणार्थियों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं पर दी जा रही राहत अपर्याप्त है और मानवीय अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों को हासिल नहीं हैं। अनेक शरणार्थी तमिलनाडु आ गए हैं जिसके कारण तमिलनाडु की जनता में तनाव पैदा हो रहा है। श्रीलंका सरकार तमिल बहुसंख्या वाले क्षेत्रों को देश के मूल ढांचे में रहते हुए स्वायत्ता प्रदान करने के मामले में आगे नहीं आई। इसके कारण वहां अस्थिरता पैदा हो रही है और इससे केवल श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषी लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रति भारत का समर्पण

भारत की विदेश नीति अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रति अधिक से अधिक समर्पणकारी बनती चली जा रही है; हाल ही के रुझानों से यह बात साफ हो जाती है। इसके दुष्परिणामस्वरूप भारत के सम्प्रभु दर्जे पर बुरा असर पड़ रहा है।
इटली में जुलाई 2009 में जी–8 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था। उस शिखर सम्मेलन में अमरीका गैर एनपीटी देशों को पूर्ण संवर्धन और री–प्रोसैसिंग प्रौद्योगिक का हस्तांतरण न करने के लिए अपनी बात मनवाने में सफल रहा है। इससे यूपीए सरकार के वे सभी दावे चकनाचूर हो जाते हैं जो यह कहते नहीं थकती कि भारत–अमरीका परमाणु सौदा बिना किसी शर्त के हुआ है। अमरीका के इस कदम से हाईड एक्ट की सर्वोच्चता स्पष्ट तौर पर स्थापित हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के मामले में भी भारत को अपने रुख में नर्मी लानी पड़ी है। इससे अमरीकी साम्राज्यवाद की तरह उसका समर्पणकारी रुख साफ हो जाता है।

अमरीका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के भारत दौरे के समय यूपीए सरकार अमरीका आधुनिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए अंतिम उपयोग निगरानी समझौते पर दस्तखत करने और अमरीकी विशेषज्ञों को निगरानी की अनुमति देने के लिए तैयार हो गई है। इससे भी यही संकेत मिलता है कि यूपीए सरकार किस तरह देश की सम्प्रभुता का समर्पण अमरीका के आगे करती चली जा रही है। भारत ने ईरान से गैस हासिल करने की योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है। यह भी उसके समर्पणकारी रुख की ओर संकेत करता है।

यद्यपि अमरीकी सेना इराक के शहरों और नगरों से अपनी सेनिक टुकड़ियां वापस बुला लेने का दावा किया है किन्तु अब भी 1,20,000 अमरीकी सेनिक उस देश में मौजूद हैं और वे प्रभावशाली तरीके से देश को नियंत्रित कर

रहे हैं। अमरीका के 50,000 तथाकथित प्रशिक्षक लम्बे समय तक इराक में रहेंगे। इराक में 2010 में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। किन्तु जब तक अमरीकी सेनाएं इराक की धरती पर रहेंगी तब तक इस तरह की घोषणाएं दिखावा मात्र ही रहेंगी।

संसदीय चुनावों में लगे धक्के

कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद थोड़े समय में ही हमारे देश में पंद्रहवीं लोक सभा के लिए चुनाव अभियान शुरू हो गया। सीआइटीयू के सभी नेता तथा कार्य कर्ता इन चुनावों में वाम, जनवादी एवं धर्म निरपेक्ष प्रत्याशियों की सफलता के लिए काम करने में व्यस्त रहे और उन्होंने देश में गैर कांग्रेसी एवं गैर भाजपा के विकल्प के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया है। तथापि निकलने वाले चुनाव परिणाम पूरी तरह अप्रत्याशित रहे हैं। कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों को बहु संख्य सीटें हासिल हुई हैं जबकि इस चुनावी जंग में एनडीए की पराजय हुई है। वाम मोर्चे को इन चुनावों में भारी धक्के लगे हैं। उनके सदस्यों की संख्या 61 से कम होकर 26 रह गई है। वाम मोर्चे के दूसरे सहयोगी दलों जो तथाकथित तीसरे मोर्चे का एक भाग थे, को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इस मामले में केवल त्रिपुरा ही एक अपवाद रहा है जहां वाम मोर्चे ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की और 64 प्रतिशत मत हासिल किए हैं। त्रिपुरा के पंचायत चुनावों में भी वाम मोर्चा को और अधिक लाभ हुआ है।
चुनावी जंग के परिणाम को देखते हुए वाम पक्षी दलों में गम्भीर आत्म मंथन शुरू हो गया है। उनके अनुसार चुनावी धक्कों के लिए अधोलिखित कारक जिम्मेदार रहे हैं:

1) गैर कांग्रेस किन्तु भाजपा नहीं, की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया; यह ठीक था किन्तु लोगों ने तीसरे मोर्चे की ओर से सरकार का गठन किए जाने के मत को अधिक ठोस एवं विश्वसनीय विकल्प नहीं माना।
2) वाम मोर्चा के चुनाव सहयोगी कभी भारतीय जनता पार्टी के भी सहयोगी रहे हैं। उनकी ओर से सरकार का गठन किया जा सकता है, इसे लोगों ने विश्वसनीय नहीं माना।
3) वाम दलों के दबाव में यूपीए सरकार की ओर से नरेगा, वन अधिकार कानून, किसानों की ऋण माफी जैसे जो कदम उठाए गए थे, उनका लाभ कांग्रेस ने चुनावों में सफलता के लिए उठाया है।
4) भाजपा की ओर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहरीला साम्प्रदायिक प्रचार किया गया। इसके कारण अल्प संख्यकों में भय पैदा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि केवल कांग्रेस ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इस तरह अल्प संख्यकों के एक बहुत बड़े भाग ने इन चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया।
5) अनेक राज्यों में चुनावों से ठीक पहले वाम दलों के बीच के मतभेद खुल कर सामने आए। लोगों में इसका बहुत खराब असर हुआ।
6) केरल में (पीडीपी) के मदनी गुट से मिल कर चुनाव लड़ा गया जिसका वाम एवं जनवादी ताकतों का समर्थन करने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ा।
7) पश्चिम बंगाल में प्रतिपक्ष ने वाम मोर्चा के खिलाफ यह प्रचार किया कि वह ब्रिटिश सरकार के समय बने 1894 के भूमि कानून के अन्तर्गत किसानों से उनकी जमीने छीन लेगा; इसके कारण किसानों के एक वर्ग में घबराहट पैदा हो गई और उसने वाम मोर्चा के खिलाफ वोट दिया। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग के कारण मतदाताओं के एक हिस्से में वाम मोर्चा विरोधी भावनाएं पैदा हुई।
8) केरल में लवलीन सौदे के बारे में यूडीएफ और मीडिया की ओर से लोगों को गुमराह करने के लिए अभियान चलाया गया और गलत सूचनाएं दी गई जिसका केरल में मतदाताओं के एक हिस्से पर बुरा असर पड़ा।
9) भले ही पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा को हार हुई है; उसे 43 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल हुए हैं और उसके वोट शेयर में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। केरल में एलडीएफ को 42 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल हुए और उसके वोट शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई है।
10) कांग्रेस के वोट शेयर में बहुत बड़ा उछाल दिखाई नहीं दिया। यह केवल 27 प्रतिशत से बढ़ कर 29 प्रतिशत हुआ है जबकि 8 राज्यों में कांग्रेस की ताकत कमजोर हुई है।

वाम दलों ने अपनी कमजोरियों को दूर करने, जन पक्षीय नीतियां अपनाने, पश्चिम बंगाल तथा केरल में सरकार

के प्रशासन में सुधार लाने और लोगों के साथ अपने सम्बन्धों एवं सम्पर्कों का विकास करने का फैसला किया है ताकि जन समर्थन की क्षति को फिर से पूरा किया जा सके।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की चुनावी सफलताओं ने उन्हें अपनी ताकत के बल पर सरकार बनाने के योग्य बना दिया है। यूपीए सरकार का हौसला बढ़ गया है और वह विश्व बैंक, आइएमएफ के पक्ष में नव–उदारवादी नीतियों पर पूरी ताकत के साथ अमल कर रही है। पहले वाम दलों और ट्रेड यूनियनों के विरोध के चलते यूपीए सरकार जन विरोधी कदम उठा नहीं पाती थी किन्तु अब मनमोहन सिंह की सरकार को इसकी परवाह नहीं है। वह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमरीकी साम्राज्यवादियों की शर्तें मान रही है जिसका दुष्प्रभाव देश की सम्प्रभुसत्ता पर पड़ रहा है। वर्ष 2009–10 का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट संकेत देता है कि यूपीए सरकार आने वाले दिनों में आक्रमक नव–उदारवादी नीतियों पर अमल करेगी। इन परिस्थितियों में जब संसद में वाम दलों की ताकत कम हो गई है, और अधिक जन आंदोलन चलाने और यूपीए सरकार पर दबाव डालने की जरूरत है। यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करने में सीआइटीयू को महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभानी होगी।

नीचे से एकता का निर्माण करो

श्रमिक आंदोलन ने मजदूर वर्ग के पांच ज्वलंत मुद्दों पर शानदार एकता का निर्माण किया था। ये मुद्दे थे: 1) अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, 2) बेरोजगारी, 3) श्रम कानूनों का उल्लंघन, असंगठित श्रमिकों से सम्बन्धित कानून में बदलाव लाया जाना, 4) सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश जिसके चलते देश भर में मजदूरों के बीच असंतोष पनप रहा है। 14 सितम्बर को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे देश में चलाए जाने वाले संयुक्त संघर्ष का कार्यक्रम बनाया जाएगा। भले ही इसकी भूमिका बहुत सीमित है पर फिर भी इस एकता में मजदूर वर्ग का शक्तिशाली आंदोलन चलाने की सामर्थ्य है। आंदोलन के और भी कई मुद्दे हैं जो मजदूरों के मन में घर कर चुके हैं फिर भी इस समय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए प्रमुख मुद्दों पर जोर देना होगा और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम भारत भर में अपने अभियान में दूसरे मुद्दों को भी उठा सकते हैं।

तथापि, जो एकता बनाई गई है उसे नीचे तक ले जाना होगा। सभी तरह की सांगठनिक प्रतिबद्धताएं रखने वाले कार्यकर्ताओं को मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए चलाए जाने वाले साझा संघर्षों के साथ जोड़ना होगा। मजदूर वर्ग की सभी श्रेणियों में एकता की बलवती इच्छा का उपयोग संघर्ष में एकता बढ़ाने के काम में करना होगा। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य स्तर, उद्योग स्तर और स्थानीय स्तर पर संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं वाले श्रमिकों को एक मंच पर लाने में मदद मिलेगी। सभी यूनियनों की ओर से संघर्ष का जो चाहे संयुक्त कार्यक्रम बनाया जाए, उस कार्यक्रम को नीचे के स्तर पर ले जाना होगा। इससे भारत सरकार पर मजदूरों की मांगों पर तत्काल कदम उठाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा।

सीआइटीयू की सभी यूनियनों को क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर मजदूरों की व्यापक एकता का निर्माण करने और यह एकता कम्पायमान बने इसे यकीनी बनाने के लिए गम्भीरता के साथ कोशिशें करनी होंगी। इस जानदार एकता को राष्ट्रीय स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमें श्रमिक वर्ग की एकता का निर्माण करने वाली ताकत के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए ताकि वर्तमान में पूंजी के हमलों को सफल न होने दिया जा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीआइटीयू जनरल कौंसिल के सभी सदस्य इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और हम मौजूदा स्थिति का सामना प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे।

क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन संगठन का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ो

प्रिय साथियो, सीआइटीयू की स्थापना के चालीस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौर में हमने अनेक बड़ी एवं तीखी चुनौतियों का सामना किया है और अपनी पूरी ताकत के साथ हम उन चुनौतियों पर काबू पाने में सफल रहे हैं। वर्तमान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हम अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए अपने दृष्टिकोण को नया स्वरूप

प्रदान करें। हमारे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां कितना योगदान दे सकती हैं?
अनेक साथियों ने श्रमिक आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान किया है। हमें अपने शहीदों पर गर्व है जिन्होंने वीरता के साथ हमलों का सामना किया था। उनका बलिदान व्यर्थ न चला जाए, हमें यकीनी बनाना होगा। आप में से अनेक साथियों पर प्राण घातक हमले हो चुके हैं, सौभाग्य से आपका जीवन बच गया। सीआइटीयू में काम करने वाले अनेक साथियों को अपने जीवन में कई बार पुलिस एवं प्रशासन का दमन झेलना पड़ा है।

हमने एक क्रांतिकारी श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने के लिए सीआइटीयू की स्थापना की थी। हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि हम समय की मांग को पूरा करने की दिशा में काम करें, क्रांतिकारी संगठन के निर्माण की जरूरतों को पूरा करें जिससे हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिल सके।
वर्ग संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाने के लिए चार दशकों की हमारी गतिविधियों का हमारा अनुभव ऐतिहासिक है। जो भी हो, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच पूरी तरह वर्गीय जागरूकता का विकास नहीं कर सके। जब तक यह जागरूकता लाई नहीं जाती श्रमिक आंदोलन अपना क्रांतिकारी भूमिका पूरी तरह निभा नहीं सकेगा।

हमारे आंदोलन की क्रांतिकारी प्रगति के लिए भारत में मजदूर वर्ग का विचारधारक तौर पर विकास होना जरूरी है। भारत का मजदूर वर्ग पूंजीवाद की कब्र खोदने वाली अपनी भूमिका तब तक निभाने के योग्य नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर मजदूर वर्ग की विचारधारा की क्रांतिकारी भावना को पैदा नहीं करता।

पूंजी के क्रूर हमलों के खिलाफ मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षो को मजबूत बनाते समय हमें मजदूर वर्ग के विचारधारक विकास की ओर विशेष ध्यान देना होगा। पूंजीपति वर्ग सदा भ्रांतियां पैदा करके मजदूर वर्ग पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है; उसका उद्देश्य होता है हमारे संघर्षों की धार को कुंद करना। मजदूर वर्ग के भीतर गैर वर्गीय विचारधारा के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष चलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
मजदूरों को श्रमिक आंदोलन की गतिविधियों तथा नीतियों का फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के काम को हमें प्राथमिकता देनी होगी और इसके लिए संगठन के कार्यों को जनवादी तरीके से चलाना होगा।

हमने चार दशकों तक लगातार अपनी गतिविधियां चलाई हैं और इसके कारण हमारी ताकत के साथ–साथ हमारी कुछ कमजोरियां भी उभर कर सामने आई हैं। हमें आगे की सफलता के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना होगा और अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा।
हमें अपनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों में से नौकरशाही, अर्थ वाद और व्यक्तिवाद का खात्मा करना होगा; हमें भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा और हेंकड़ी एवं हठवादी तौर तरीके छोड़ने होंगे और इन कमजोरियों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा ताकि श्रमिकों की विशाल संख्या के बीच हमारी पहुंच हो सके।
वर्तमान में प्रतिकूल स्थिति होने पर भी हम अपनी गतिविधियों के माध्यम से मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा कर सकते हैं। आईए, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ें और श्रमिक वर्ग जिसका किसानों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के साथ निकट सम्बन्ध है, की संयुक्त ताकत पर निर्भर करते हुए आंदोलन का विकास करें और नयी सफलताएं हासिल करें।

मुझे पूरा विश्वास है कि जनरल कौंसिल पूरी गम्भीरता से इस पर चिंतन करेगी और एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में सीआइटीयू का विकास करने के लिए कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ेगी जिसकी कल्पना वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों ने की थी।

सीआइटीयू जिंदाबाद!

एम के पन्धे
अध्यक्ष

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

1.1 सीआइटीयू जनरल कौंसिल की यह बैठक उस समय हो रही है जब अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में स्थिति में निर्णायक बदलाव आ रहे हैं जिनके चलते हमारे लिए जहां गम्भीर चुनौतियां पैदा हुई हैं वहीं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं।

1.2 अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भूमण्डलीय वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में और उसके साथ जुड़ी मंदी की स्थिति दर्शाती है कि विकसित पूंजीवादी देशों में भी अर्थव्यवस्था धाराशायी होने के कागार पर पहुंच चुकी है। जिस ढंग से पूंजीवाद ने नव–उदारवादी सिद्धान्त के तहत आचरण किया है उसकी सीधी और मुखर आलोचनाएं हो रही हैं। अनेक अनपेक्षित क्षेत्रों में भी उसकी जोरदार आलोचना हो रही है जिसके चलते उसका नव–उदारकरण का आर्थिक दर्शन ही कटघरे में खड़ा हो गया है और उसे रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस अवधि में श्रमिक वर्ग के आंदोलन और सीआइटीयू आंदोलन के महत्व को उजागर करने वाली बुनियादी वर्गीय राजनीति की दृष्टि से कुछ सकारात्मक घटनाएं भी घटी हैं, इसमें संदेह नहीं।

1.3 दूसरी ओर, राष्ट्रीय परिदृश्य में, पंद्रहवीं लोक सभा के चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद देश में राजनीतिक संतुलन दक्षिण पंथ की ओर झुक गया है; वाम पंथी ताकतों को कई धक्के लगे हैं यहां तक कि उनके परम्परागत गढ़ों में भी उनके लिए गम्भीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। यह न केवल श्रमिक आंदोलन के लिए बल्कि पूरे प्रगतिशील आंदोलन के लिए चिंता का विषय है। इसके चलते अमरीकी साम्राज्यवादियों का दखल बढ़ जाएगा और उनकी गतिविधियां पहले से अधिक आक्रमक हो जाएंगी और देश में राजनीतिक ताकतों को दक्षिणपंथी दिशा में और अधिक धकेल दिया जाएगा। जनरल कौंसिल को आंदोलन का भावी कार्यक्रम और रणनीति का निर्धारण करते समय इन अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना होगा।

1.4 अध्यक्षीय भाषण में कार्य समिति की जनवरी 2009 में मुम्बई में सम्पन्न बैठक के बाद की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं की चर्चा विस्तार में की गई है। इस मध्यवर्ती अवधि की सबसे अधिक रेखांकित करने योग्य घटना भूमण्डलीय वित्तीय संकट का और गहरा हो जाना है जिसका ज्वालामुखी 2008 की अंतिम तिमाही में फूटा और जो अपने साथ व्यापक स्तर पर विश्वव्यापी मंदी का लावा भी लेता आया। व्यापक स्तर पर रोजगार क्षतियां, काम बंदियां, वेतन कटौतियों इत्यादि की विनाशकारी बाढ़ ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। इस अवधि में जन साधारण और मेहनतकश अवाम की व्यापक लामबंदियां और विरोध की कार्रवाईयां भी होते देखी गई। सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल करके सट्टाबाजारियों को बेल–आउट दिए जाने जैसी कार्रवाईयों के खिलाफ मेहनतकश अवाम की ओर से हड़तालें भी की गई और व्यापक रोजगार क्षतियों, वेतन कटौतियों को रोकने और रोजगार एवं आय पैदा करने के लिए ठोस कार्रवाईयों की मांग की गई। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों विशेष तौर पर आइएलओ में विकसित पूंजीवादी देशों के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने वित्तीय विनियमन की नीति जिसे साम्राज्यवादी ताकतों तथा बहुपक्षीय एजेंसियों के आदेश पर आक्रमक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह की नीतियों के चलते सदृाबाजार को मजबूती मिल रही है, पर उंगली उठाई है। इसके चलते विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का खोखलापन उजागर हो गया है।

2. राष्ट्रीय स्थिति

2.1.1 कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद की अवधि में पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को केन्द्र में एक बार फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल हुआ। हमारी कार्य समिति की बैठक जनवरी 2009 में मुम्बई में हुई थी। उस बैठक में हमने "भाजपा को परास्त करने और कांग्रेस

को ठुकरा देने की दिशा में" श्रमिक वर्ग को लामबंद करने का राजनीतिक काम अपने हाथ में लिया था। कार्य समिति में पारित महासचिव की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था, "आर्थिक नीति के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा का रुख एक समान है। नव–उदारवादी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण अथवा इस मामले में पूंजीवादी व्यवस्था के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए हमारी आगामी पहलकदमी कांग्रेस और भाजपा दोनों को बेनकाब करने के हमारे राजनीतिक कार्य के अनुरूप होगी। इसके लिए पूरी तैयारियों की जरूरत है; हमें सांगठनिक और विचारधारक दोनों पहलुओं से जहां तक सम्भव हो सके मेहनतकश अवाम की व्यापक से व्यापकतर श्रेणियों के बीच सघन अभियान चलाना होगा ताकि अब तक की सबसे बड़ी जन लामबंदी और को सुनिश्चित बनाया जा सके और साम्राज्यवाद एवं नव–उदारीकरण के खिलाफ संघर्ष को ऊंचाईयों तक पहुंचाया जा सके।" कार्य समिति ने जोर देकर यह भी रेखांकित किया था कि "आगामी चुनावों में सत्ताधारी श्रेणी और साम्राज्यवादी शक्तियां वाम पक्षी ताकतों पर उनके गढ़ों में हमला करने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ेंगी और वे पूरी ताकत के साथ वाम पक्षी सरकारों के खिलाफ कुत्सा प्रचार अभियान चलाएंगी। वाम पक्षी सरकारों की रक्षा करना और नव–उदारवादी जन विरोधी नीतिगत सत्ता के विपरीत उनकी जन पक्षीय नीतियों का लोगों के बीच जाकर प्रचार करने का काम हमारे अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।"

2.1.2 आम चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद सीआइटीयू ने श्रमिक वर्ग के नाम एक अपील जारी करके कांग्रेस तथा भाजपा दोनों को हराने और वाम एवं धर्म निरपेक्ष विकल्प को मजबूत बनाने और आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मोर्चों पर वैकल्पिक नीतियों पर आधारित तीसरे विकल्प के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया था। यह अपील एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके सभी राज्य समितियों को भेजी गई थी और उनसे क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रकाशन करके व्यापक स्तर पर उसका प्रचार करने के लिए कहा गया था।

2.2 चुनावों के बाद का परिदृश्य

2.2.1 पंद्रहवीं लोक सभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में निकले हैं। वाम दलों को इन चुनावों में गहरे धक्के लगे हैं। चौदहवीं लोक सभा में उनकी कुल सीटें 61 थीं किन्तु इस बार ये कम होकर केवल 24 रह गई हैं।

2.2.2 इन चुनावों में विशेष तौर पर सीआइटीयू के कार्य कर्ताओं और सामान्य रूप में श्रमिक वर्ग द्वारा निभाई गई भूमिका की समीक्षा सीआइटीयू की राज्य समितियों और जनरल कौंसिल के सदस्यों को करनी होगी। किन्तु चुनावों के परिणाम और वाम पक्षी ताकतों को उनके अपने ही गढ़ों में लगे गहरे धक्के दर्शाते हैं कि हम अपने वाम एवं धर्म निरपेक्ष विकल्प के पक्ष में और वह भी उन राज्यों जो हमारे गढ़ हैं, में मेहनतकश अवाम के एक बड़े हिस्से को लामबंद करने में नाकाम रहे हैं, दूसरे राज्यों की बात हम नहीं करते जहां वाम पक्ष अभी तक कमजोर ताकत बना हुआ है और यह गिरावट के रुझान को दर्शाता है। यह हमारी इस विफलता को भी प्रतिबिम्बित करता है कि हम मेहनतकश अवाम की कामकाजी, जीवन एवं सामाजिक स्थितियों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और उनका निपटारा कराने में विफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 28 जून 2009 को पालिका चुनाव सम्पन्न हुए थे; उन चुनावों के परिणाम भी इसी तरह की तस्वीर को प्रतिबिम्बित करते हैं। पश्चिम बंगाल तथा केरल दोनों राज्यों के उन क्षेत्रों जहां मजदूर वर्ग को विशाल बहुमत रहता है, में भी वाम पक्षी ताकतों को धक्के लगे हैं; स्थिति चौंका देने वाली है, इसमें संदेह नहीं।

2.2.3 एक मात्र अपवाद त्रिपुरा रहा है; वहां वाम पक्षी ताकतें और आगे बढ़ी हैं; उन्होंने न केवल अपनी ताकत को बनाए रखा है बल्कि अपने वोट शेयर में भी बढ़ोतरी दर्ज कराई है। हाल ही में सम्पन्न त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों और पालिका एवं जन जातीय स्वायत्तशासी जिला परिषद के उप–चुनावों में सीपीआइ (एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने अपने जबरदस्त बर्चस्व को बनाए रखा है; उसने पालिका उप–चुनावों में सभी सीटों पर विजय हासिल की और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 85 प्रतिशत सीटें हासिल कीं और जन जातीय स्वयत्तशासी जिला परिषद की सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है।

2.2.4 अनेक कारकों के चलते इस बार के चुनावों में धक्के लगे हैं जिनकी प्रकृति राजनीतिक एवं सांगठनिक दोनों तरह की है जिनकी विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट में नहीं की जा सकती। किन्तु सामान्यतया चुनाव परिणामों और विशेष तौर पर चुनाव अभियान में सीआइटीयू की भागीदारी गम्भीर राजनीतिक–संगठनात्मक कमजोरी को दर्शाती है। यह

दर्शाती है कि हम मेहनतकश अवाम की व्यापकतर श्रेणियों के बीच जा नहीं सके; हम उसे ठीक से केन्द्रित नहीं कर पाए, गहराई और प्रतिबद्धता की कमी रही और संघर्षों में की गई लामबंदियों को हम राजनीतिक समर्थन के रूप में तबदील नहीं कर पाए; यह हमारी विफलता है। सार रूप में, हमारा अभियान विशेष तौर पर मेहनतकश अवाम के एक बड़े भाग जिसका उल्लेखनीय हिस्सा उन राज्यों में रहता है जो हमारे गढ़ हैं, का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहा है। इस नाकामी की जड़ को हमारे संगठन के प्रत्येक स्तर पर हमारे काम में आने वाली राजनीतिक–विचारधारक एवं वर्गीय समझ की कमियों में से तलाशना होगा––हमारी कमजोरी का असर हमारी सांगठनिक पहलकद्मी और सत्ताधारी वर्गों की ओर से किए जाने वाले राजनीतिक हमलों का मुकाबला करने की हमारी क्षमता पर पड़ता है। संगठन के सभी स्तरों पर हमें अपनी कमियों का पता लगाना होगा।

2.2.5 एक बात विशेष तौर पर नोट कर लेनी चाहिए। वर्ष 2004 के बाद यूपीए सरकार के शासन काल के दौरान यूपीए सरकार वाम पक्षी ताकतों पर निर्भर करती थी। इसके कारण उसे मजबूर होकर अनेक जन पक्षीय क़दम उठाने पड़े जो उसकी नव–उदारवादी समझ से मेल नहीं खाते थे। श्रमिक आंदोलन तथा जनवादी ताकतों की दूसरी श्रेणियों की जन लामबंदी की पृष्ठभूमि में वाम पक्षी ताकतों की ओर से लगातार दबाव डाले जाने के कारण सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाना पड़ा था और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की कार्रवाईयों को रोकना पड़ा था। इसी प्रकार जन जातीय वन अधिनियम (Forest Tribal Act) तथा सूचना पाने के अधिकार पर कानून को पारित कराने में वाम पक्षी ताकतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृषि संकट पर लगातार अभियान चला कर उसे दूर करने के लिए प्रभावी मांग की गई और इसी अभियान के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके चलते सरकार को किसानों के ऋण माफ करने की घोषणा करनी पड़ी थी। किन्तु हम अथवा सम्बन्धित लोगों में काम करने वाले हमारे संगठन उस समय सांगठनिक पहलकदमी करने में नाकाम रहे जो बहुत जरूरी थी और जिस समय नरेगा पर अमल किया जा रहा था अथवा किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही थी अथवा देश के बड़े हिस्से में आदिवासियों की बड़ी संख्या को नए बने जन जातीय वन अधिनियम का लाभ पहुंचाया जा रहा था, उस समय सांगठनिक तौर पर हमारी उपस्थिति उन लोगों को दिखाई नहीं दी।

2.2.6 श्रमिक वर्ग की ओर से चलाए गए संयुक्त संघर्ष की पृष्ठभूमि में वाम पक्षी ताकतों द्वारा लगातार विरोध किए जाने के कारण देश के वित्तीय सेक्टर का निजीकरण नहीं किया जा सका अथवा उसे विनियमित नहीं किया जा सका। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सका। कम से कम जहां तक सम्भव हो सका उसे भूमण्डलीय आर्थिक मंदी के दौर में विनाश एवं धाराशायी होने से तो बचाया जा सका है। यह श्रमिक वर्ग की एक महान उपलब्धी थी जो हमारे अभियान के चलते हासिल हुई थी किन्तु हम इस पर फोकस नहीं कर सके। हमने अनेक सफल संघर्ष किए हैं और उन संघर्षों में मेहनतकश जनता के एक बड़े हिस्से को लामबंद किया है किन्तु हम अपनी विचारधारक कमजोरियों और उनके चलते सांगठनिक अक्षमताओं के कारण तृण मूल स्तर पर श्रमिकों और आम जनता के बीच उन संघर्षों की विचारधारा और राजनीति को ले जाने में नाकाम रहे हैं।

2.2.7 साम्राज्यवाद ने वाम पक्षी ताकतों के खिलाफ गिरोहबंदी करने में प्रमुख भूमिका निभाई है, किन्तु हम उसकी भूमिका को कम करके देखते रहे इसके कारण भी हमें विफलता मिली है। अमरीका के कूटनीतिकों और दूतावास के अधिकारियों ने वाम पक्ष विरोधी ताकतों और दूसरे दक्षिणपंथी तत्वों के साथ निरंतर एवं नियमित सम्पर्क बनाए रखा और चुनावों से पहले विभिन्न हित रखने वाले इन समूहों के बीच अनेक बैठकों का आयोजन किया गया और वाम पक्ष विरोधी सभी ताकतों को एक मंच पर लाने के लिए उत्तेजक भूमिका निभाई गई और उनकी हर तरह से सहायता की गई, वित्तीय अथवा सामग्री की सहायता भी उसमें शामिल है। पंद्रहवीं लोक सभा के चुनावों में साम्राज्यवादी ताकतों की संलिप्तता आंध्र प्रदेश में मतदान पूरा होने के तत्काल बाद अमरीकी कूटनीतिक अधिकारियों की उस पहलकदमियों में भी देखी जा सकती है, जो उन्होंने टीडीपी, पीआरपी और आंध्र प्रदेश के दूसरे दलों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए की थीं। उनकी बड़ी दिलचस्पी इस बात को यकीनी बनाने में थी कि केन्द्र में ऐसी सरकार आराम से बन जाए जो वाम पक्षी ताकतों पर निर्भर न करती हो।

2.2.8 हम इसकी गम्भीरता का अनुमान लगाने और साम्राज्यवादी ताकतों के इन हस्तक्षेपों की गहराई को समझने में नाकाम रहे हैं। यह कमजोरी हमारे अभियान में प्रतिबिम्बित होती है। भूमण्डलीय आर्थिक मंदी में पूंजीवादी व्यवस्था के दीवालियापन को बेनकाब करने का काम अत्यंत निर्णायक महत्व का था, इसे जनवरी 2009 में मुम्बई

में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया था किन्तु हमने चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान अपने राजनीतिक अभियान में इसे अधिक प्राथमिकता नहीं दी।

2.2.9 इसी प्रकार श्रमिक वर्ग के बुनियादी मुद्दों जैसे मूल्य वृद्धि, श्रम कानूनों के उल्लंघन, भूमण्डलीय मंदी के कारण होने वालीं रोजगार क्षतियों जो चौंका देने की हद तक बढ़ चुकी हैं, वेतन कटौतियों तथा दिन प्रतिदिन खराब हो रही कामकाजी स्थितियों, विनिवेशों, वित्तीय एवं पेट्रोलियम सेक्टर का विनियमन, खुदरा कारोबार, बीमा, टेलीकाम, बैंकों, पेन्शन सेक्टर तथा प्रतिरक्षा इत्यादि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने का बुरा असर मजदूरों और व्यापक रूप में पूरे राष्ट्र पर पड़ रहा है, किन्तु हम चुनावों के दौरान इसे प्रभावी ढंग से राजनीतिक एजेंडा में शामिल नहीं करा पाए। इसके चलते इन चुनावों में बुर्जुआ दलों तथा विशेष तौर पर सत्ताधारी पार्टी को यह यकीनी बनाने का मौका मिल गया कि "मजदूर एजेंडे में न रहे।"

2.3 नए हमले-वाम पक्ष और ट्रेड यूनियनों पर हमले

2.3.1 अपनी विफलताओं और कमजोरियों की समीक्षा और उसमें सुधार लाने के लिए जरूरी कार्रवाई करते समय सीआइटीयू को जहां अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा और उपरोक्त हमलों जो इस नयी राजनीतिक सत्ता के अन्तर्गत पहले ही शुरू हो चुके हैं, का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। हमने कार्य समिति की पिछली बैठक के समय इस बात को पहले ही रेखांकित किया था। एक वर्ष से अधिक समय से वाम पक्षी ताकतों पर ये हमले राजनीतिक एवं शारीरिक दोनों तरह से, चल रहे हैं; उन राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है जो हमारे गढ़ रहे हैं और वाम पक्षी ताकतों के खिलाफ सभी तरह की प्रतिक्रियावादी ताकतों की गिरोहबंदी हो चुकी है और इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को साम्राज्यवादी एजेंसियों विशेष तौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद का निकट संरक्षण प्राप्त है। बुर्जुआजी मीडिया भी बड़े व्यापक स्तर पर इन हमलों में शामिल हो गया है। ये लोग चाहते हैं कि नव-उदारवाद के खिलाफ हस्तक्षेप करने की वाम पंथ की ताकत को कम किया जाए। दुर्भाग्य का विषय है कि हम तृण मूल स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं में इस बुनियादी समझ को पैदा नहीं कर पाए हैं। हम उसे समझा नहीं पाए हैं कि हमें मीडिया और प्रतिक्रियावादी ताकतों की ओर से किस तरह के वाम पंथ विरोध आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह ये ताकतें इस निर्णायक राजनीतिक लड़ाई में उन्हें अर्थात् श्रमिक वर्ग को निहत्था कर देना चाहती हैं।

2.3.2 चुनाव परिणाम आ जाने के बाद वाम पक्षी ताकतों के खिलाफ शारीरिक हमले बढ़ गए हैं विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल में सैंकड़ों कार्यकर्ता तृणमूल-माओवादी गठबंधन के बर्बर हमलों को बहादुरी से सामना करते हुए अपने प्राण गंवा चुके हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मारे गए साथियों की संख्या सौ से अधिक हो चुकी है। हर रोज मारे जाने वाले साथियों की संख्या बढ़ रही है। ट्रेड यूनियनों के कार्यालयों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है और कई स्थानों पर तो तृणमूल गुण्डे उन पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों तथा दूसरे जन संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों पर प्राण घातक हमले किए जा रहे हैं। ये वाम विरोधी गुण्डा गिरोह हथियार बंद•हमले करके हमारे साथियों को अनेक क्षेत्रों में से बाहर खदेड़ देने की कोशिशें कर रहा है ताकि वे आतंक का साम्राज्य कायम करके, लूट मचा कर और साधारण लोगों से जबरदस्ती जुर्माने वसूल करके इन क्षेत्रों को वाम पक्ष से मुक्त क्षेत्रों में तबदील कर सकें। हमारे साथी वाम पक्ष के खिलाफ इस नर संहारी अभियान के खिलाफ प्रतिरोधी कार्रवाईयां कर रहे हैं और प्रतिरोध का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु वे इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं।

2.3.3 वाम पक्षी ताकतों पर होने वाले हमले उसी तरह के हैं जिस तरह के मजदूर वर्ग पर हो रहे हैं। हमारे सबसे मजबूत गढ़ों में से एक पश्चिम बंगाल में ये हमले खतरनाक सीमा तक बढ़ते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जनवादी आंदोलन की अग्रिम चौकी और मजदूर वर्ग का किला रहा है। कामरेड बी टी रणदिवे आम तौर पर अपनी टिप्पणियों में इसका उल्लेख किया करते थे। पश्चिम बंगाल में अपने साथियों की पूरी दृढ़ता के साथ हिमायत करना और उनके साथ खड़े रहना देश के श्रमिक आंदोलन का सर्वोपरि कार्य है क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथी मजदूर वर्ग तथा जनवादी आंदोलन के किले की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमले और मीडिया द्वारा चलाए जा रहे कुत्सा प्रचार अभियान का सामना करने के लिए देश भर में एकजुटता अभियान चलाए जाने चाहिएं।

3.1. आक्रामक नव-उदारवाद की ओर

3.1.1 जहां वाम पक्षी ताकतों को निशाना बना कर हमले किए जा रहे हैं वहीं यूपीए–2 सरकार जो वाम पक्षी दलों के समर्थन पर निर्भर नहीं करती, ने अपने जन विरोधी नव–उदारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए आक्रमक शुरूआत कर दी है। आर्थिक सर्वेक्षण (2008–09) और रेल बजट एवं आम बजट दोनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के होल सेल उदारीकरण, विनियमन एवं निजीकरण के लिए यूपीए–2 सरकार के मंसूबों की विस्तृत योजना पेश की जा चुकी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2008–09 में प्रमुखता से दिया गया है। उनके नीतिगत मंसूबों में प्रमुख जोर इन बातों पर दिया गया है:

♣ सार्वजनिक क्षेत्र की मुनाफा कमाने वाली इकाईयों जिनमें नव रतन इकाईयां भी शामिल हैं, के शेयरों का विनिवेश करके हर साल 25000 करोड़ रुपए जुटाना।

♣ सार्वजनिक क्षेत्र की घाटे पर चलने वाली इकाईयों को बेच डालना।

♣ "हॉयर एण्ड फॉयर" की सत्ता लागू करके श्रम कानूनों में सुधार करना।

♣ संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में बदलाव लाकर सभी प्रकार के रोजगारों में ठेका मजदूरों को लगाने की अनुमति देना।

♣ गिने चुने क्षेत्रों में 12 घण्टे का कामकाजी दिन और 60 घण्टों का कामकाजी सप्ताह लागू करना।

♣ रेलवे सहित अंदरूनी ढांचे की सभी परियोजनाओं में सार्वजनिक–निजी सहभागिता के रास्ते को बढ़ावा देना।

♣ पीपीपी के रास्ते बंदरगाहों और हवाई अड्डों का निजीकरण करना।

♣ खुदरा कारोबार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

♣ बीमा क्षेत्र और प्रतिरक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा कर 49 प्रतिशत करना।

♣ ग्रामीण बीमा फर्मों में शत प्रतिशत एक्विटी की इजाजत देना।

♣ पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की दिशा में धीरे–धीरे उदारीकरण करना।

♣ बैंकिंग क्षेत्र में निजी एवं विदेशी शेयर धारकों के मताधिकार की सीमा को समाप्त करके और विनिवेश के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर का विनियमीकरण करना।

♣ पीएफआरडीए विधेयक को पारित करा कर पेन्शन सेक्टर का निजीकरण।

♣ मिट्टी के तेल तथा एलपीजी सहित दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों के शासकीय मूल्यन की व्यवस्था·समाप्त करना।

♣ उर्वरकों के मूल्य निर्धारण को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना।

♣ नाभिकीय ऊर्जा में निजी निवेश की इजाजत देना।

♣ अनाजों तथा अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं सहित उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में वादा व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त करना।

♣ अनिवार्य दवाओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करना।

♣ छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित सूची को बंद करना।

डपरोक्त सूची अपने में पूर्ण नहीं है। समग्र रूप में, यूपीए–2 सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर देश के भीतरी तथा बाहरी नैगम घरानों के आदेश पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण विनियमीकरण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो रहा है।

3.2 केन्द्रीय बजट 2009–10

3.2.1 वर्ष 2009–10 का केन्द्रीय बजट भी उसी नव–उदारवादी मंसूबों को प्रतिबिम्बित करता है। हां, उसकी ओर से बार–बार "आम आदमी" का राग जरूर अलापा जाता है, इसमें संदेह नहीं। बड़ी–बड़ी घोषणाएं किए जाने पर भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, अंदरूनी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए असल आबंटन में मामूली बढ़ोतरी की गई है। कुल मिला कर, 2008–09 के बजट के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2009–10 के बजट में कुल खर्च में केवल 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिसमें से योजनागत खर्च में जीडीपी के मात्र 0.2 प्रतिशत की वृण्द्धि की गई है। कृषि के लिए केन्द्रीय योजना के खर्चे में पिछले वर्ष के बजट आबंटन से 600 करोड़ रुपए से कम की बढ़ोतरी की गई है। कुल खर्च में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मिले जुले खर्च का हिस्सा वास्तव में मौजूदा

बजट में कम होकर 16.09 प्रतिशत रह गया है (बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 2.55 प्रतिशत) जबकि 2008–09 के संशोधित अनुमानों में यह 22.24 प्रतिशत था (जीडीपी का 3.69 प्रतिशत)। कुल खर्च में कृषि तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा मौजूदा बजट में कम होकर 10.37 प्रतिशत रह गया है (जीडीपी का 1.64 प्रतिशत) जबकि यह हिस्सा पिछले साल 15.60 प्रतिशत था (जीडीपी का 2.59 प्रतिशत। मोटे तौर पर 1 प्रतिशत जीडीपी 50,000 करोड़ रुपए के बराबर है।)

3.2.2 उर्वरक सब्सिडी में जबरदस्त कटौती के चलते सब्सिडी के खाते में सरकार के आबंटन में वास्तव में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी ओर अमीरों और नैगम घरानों को करों में उदारता से छूटें दी गई हैं। वित्त मंत्री के अपने वक्तव्य के अनुसार, बजट में प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों, में अमीर और समश्द्ध लोगों को प्रमुख तौर पर लाभ पहुंचाया गया है, बजट राजस्व–निरपेक्ष बना रहा है अर्थात् करों के बोझ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि अप्रत्यक्ष करों के खाते में, अधिकतर आम आदमी पर गाज गिराई गई है, बजट में 2000 करोड़ रुपए के लाभ का लक्ष्य रखा गया है। बजट के आंकड़ों की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि वह पूरी तरह अमीरों, नैगम और बड़े कारोबारी घरानों की लाबी की ओर झुका हुआ है। वित्त मंत्री के बजट भाषणों के अनुसार बड़े कारोबारियों की लाबी को विभिन्न प्रकार से करों में छूट देकर केन्द्रीय सरकार ने जिस कर राजस्व को गंवा दिया है वह 2008–09 में एकत्रित कुल कर राजस्व का 68.45 प्रतिशत भाग थी और जो आम लोगों को दी जाने वाले सब्सिडी के कुल बिल का 323.5 प्रतिशत भाग बनती थी। आम आदमी की जेब पर पेट्रोलियम उत्पादों पर करों और शुल्क के रूप में बोझ डाल कर एकत्रित किया गया राजस्व पेट्रो उत्पादों के मूल्यन के माध्यम से उन्हीं लोगों को दी जा रही सब्सिडी का तीन गुणा अधिक बनता है। पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्यन की व्यवस्था में आम आदमी सरकार की नजर में नहीं आता। इसी तरह आय कर, सम्पत्ति कर और दूसरे विभिन्न प्रकार के करों के मामले में मौजूदा केन्द्रीय बजट में दी गई सुविधाओं के मामले में भी बड़ी छलांग लगाई गई है जो पूरी तरह अमीर लोगों और बड़े कारोबारी घरानों के पक्ष में है। इसकी तुलना में आम आदमी के खाते में मामूली छूट शामिल की गई है।

3.2.3 अंदरूनी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं में सार्वजनिक–निजी सहभागिता के लिए जो अनुपात रखा गया है वह सरकारी कोष की कीमत पर सार्वजनिक सेवाओं के प्रमुख भाग का निजीकरण करने की सरकार के इरादों की ओर संकेत करता है। बजट में बढ़ते वित्तीय घाटे को पाटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ कमाने वाली इकाईयों में आक्रमक तरीके अथवा जोर शोर से विनिवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना की वकालत की गई है।

3.2.4 मेहनतकश अवाम की अमानवीय अनदेखी की गई है। आर्थिक मंदी की रतार को रोकने के लिए उत्प्रेरण (stimulus) के नाम पर कारोबारी लाबी पर बड़ी उदारता के साथ करों तथा शुल्कों में छूटों की वर्षा की गई है पर उन लोगों–लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया गया जो इस मंदी के कारण सबसे अधिक पीड़ित हुए हैं और जो लगभग हर दिन अपना रोजगार अथवा आजीविका खो रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों लिए सामाजिक सुरक्षा पर आबंटित धन में पिछले साल की तुलना में केवल 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है जो देश की 93 प्रतिशत श्रम शक्ति के साथ क्रूर मजाक है। आइसीडीएस के लिए पिछले साल के संशोधित अनुमानों की तुलना में केवल 360 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। यदि यही रतार रही तो आइसीडीएस का सार्वभौमिकीकरण करने में लगभग एक दशक लग जाएगा। इसी प्रकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कर्मचारियों ओर उनके साथ मिड डे मील वर्करों की भी इस बजट में अनदेखी की गई है। बजट प्रस्तावों में आम लोगों की किस तरह अनदेखी की गई है, ये उसकी कुछेक उदाहरणें हैं।

3.2.5 श्रमिक आंदोलन की ओर से आम आदमी के नाम पर दिन रात माला जपते रहने वाली इस सरकार के असल चेहरे कोब बेनकाब किए जाने की जरूरत है।

3.3 साम्राज्यवाद समर्थक मंसूबे-अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन करने की ललक

3.3.1 उनकी आर्थिक नीति का झुकाव साम्राज्यवाद परस्ती की ओर है और वित्तीय सेक्टर के विनियमीकरण के लिए उनके फास्ट–ट्रैक कोशिशों और पूर्ण परिवर्तनीयता से यह बात साफ नजर आती है। वह भी उस समय जब साम्राज्यवाद के आधिपत्य में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है और उन्नत औद्योगिक देशों के वित्तीय दैव धाराशायी हो रहे हैं। विकसित साम्राज्यवादी देशों की मंदी से पीड़ित अर्थव्यवस्था की तेजी से बहाली

भारत सहित दूसरे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं एवं बाजार के विनियमीकरण की कीमत पर ही हो सकती है। साम्राज्यवादी ताकतों विशेष तौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ भारत के सत्ताधारी वर्ग का सामरिक सैन्य गठबंधन उनकी आर्थिक नीति के मंसूबों से और बेनकाब हो गया है क्योंकि उसका झुकाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापक रूप में देश के लोगों के हितों से भी अधिक साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थाओं के हितों की ओर अधिक है।

3.3.2 अमरीका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की हाल ही की भारत यात्रा के बाद जारी की गई भारत–अमरीका संयुक्त विज्ञप्ति में अमरीका का कनिष्ठ सहयोगी बनने की दिशा में भारत की अधिक सक्रियता के बारे में किसी संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अमरीकी सैन्य उपकरणों की बिक्री और भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की अमरीकी निगरानी की अनुमति देने के लिए अंतिम उपयोग निगरानी समझौता (ईयूएमए) स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सम्प्रभुता का बेहद शर्मनाक समर्पण है। कृषि से जुड़ी व्यापार वार्ताओं के दोहा चक्र में भारत पर अमरीका का दबाव बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए चल रही वार्ताओं में अमरीका भारत पर कार्बन के स्राव में कटौती करने का दबाव डाल रहा है। भारत इन प्रश्नों पर ढिलमुल रुख अपना रहा है जो उसके साम्राज्यवादी हितों के आगे नतमस्तक हो जाने को दर्शाते हैं। देश की देशभक्त जनता को पूरी मजबूती के साथ इसका विरोध करना होगा।

3.3.3 समग्र रूप में, भारत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां एक ओर भारत पर अमरीकी साम्राज्यवाद का दबाव बढ़ता चला जा रहा है जबकि दूसरी ओर भारत का सत्ताधारी वर्ग विदेश एवं आर्थिक दोनों नीतियों के मामले में उसके आगे समर्पण करता चला जा रहा है। इसका राष्ट्रीय हितों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारा देश धीरे–धीरे नव–औपनिवेशिक जाल में फंसता चला जा रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद के घिनावने मंसूबों और भारत के सत्ताधारी वर्ग की घुटने टेकने वाली नीति एवं कार्रवाईयों के खिलाफ सीआइटीयू को आगे बढ़ कर संघर्ष करना होगा और इसके खिलाफ देश की जनता, मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम को लामबंद करना होगा।

4. नयी स्थिति -संघर्षों के बदलते आयाम

यूपीए सरकार के साढ़े चार साल के पहले शासन काल के दौरान वाम पक्षी ताकतें उसकी नव–उदारवादी नीतियों की विनाशकारी कार्रवाईयों को रोकने के लिए ब्रेक लगाने का काम करती रही हैं; यह ब्रेक श्रमिक आंदोलन की ओर से इन नीतियों के संगठित विरोध किए जाने की पृष्ठभूमि में लगाई जाती रही है। अब यूपीए–2 के दौर में वाम पक्ष की वह ताकत संसद के भीतर नहीं रही। संसद के भीतर इन मामलों में दखल देने की ताकत कमजोर पड़ जाने की पृष्ठभूमि में संसद के बाहर इन नीतियों के खिलाफ पहले से कई गुणा अधिक ताकत के साथ आंदोलन चलाना होगा और लोगों को लामबंद करना होगा।

हमें याद रखना होगा कि वर्ष 1991 के बाद सीआइटीयू ने देश में भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्षों के मंच का गठन करने, उसे विकसित करने में अग्र गण्य भूमिका निभाई थी। उस समय वाम पक्षी ताकतें संसद के भीतर अधिक दखल देने और सरकार के मंसूबों पर ब्रेक लगाने की स्थिति में नहीं थीं। तब हम नव–उदारवादी साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ मेहनतकश अवाम के संघर्ष के मंच को व्यापक बनाने और निरंतर हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में थे; इसके चलते हम कुछ हद तक नव–उदारवादी और निजीकरण की प्रक्रिया को रोक सके थे और संघर्षों के बल पर ही वाम पक्षी ताकतों ने संसदीय मंच पर हस्तक्षेप करने की ताकत हासिल की थी। अब जबकि संसद में वाम पक्षी दलों की ताकत सिकुड़ गई है, हमें संसद के बाहर सरकार की इन नीतियों के खिलाफ जन लामबंदी करनी होगी; हमें यह जिम्मेदारी पूरी करनी होगी; नव–उदारवादी सत्ता के खिलाफ जन प्रतिरोध का निर्माण करने की यह जिम्मेदारी न केवल निर्णायक है बल्कि ऐतिहासिक भी है। विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ संघर्ष चलाने की जरूरत को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को इजारेदार पूंजी देशी तथा विदेशी दोनों, की झोली में डाल देने के नव–उदारवादी मंसूबों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। आक्रमक नव–औपनिवेशवाद के लिए साम्राज्यवाद के मंसूबों के संदर्भ में नव–उदारीकरण के खिलाफ संघर्ष को बुलंदी पर ले जाने की जरूरत है।

हमें यह काम करते समय अपने संघर्षों और लामबंदियों के प्रत्येक चरण में जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां पेश करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ–साथ नव–उदारवादी नीति

के ढांचे के दिवालियापन और निकम्मेपन को भी बेनकाब करते रहना होगा। इस दृष्टि से, चुनावों के बाद का परिदृश्य श्रमिक आंदोलन को आह्वान करता है और उसके कंधों पर यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी डालता है कि वह आगे बढ़ कर नव–उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में मेहनतकश अवाम को लामबंद करें। हमें अपना यह ऐतिहासिक फर्ज निभाना होगा और खुद को इसके लिए सांगठनिक एवं विचारधारा दोनों तरह से तैयार करना होगा।

4.2 साम्प्रदायिकता और नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष एक साथ चलाओ

4.2.1 संसद में एनडीए के नेतृत्व वाला प्रमुख विपक्षी गुट सरकार के फास्ट–ट्रैक नव–उदारवादी मंसूबों का विरोध करेगा, यह आशा करना व्यर्थ है। इसके विपरीत वे लोग आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। उनकी भूमिका बुनियादी स्वरूप उनका अपना हिन्दुत्ववादी एजेंडा होगा और वे इससे जुड़े आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों इत्यादि पर जनता का ध्यान दूसरी ओर ले जाने का काम जरूर कर सकते हैं। यूपीए सरकार द्वारा नव–उदारवादी नीतियों पर आक्रमक रुख अपनाए जाने के खिलाफ संघर्ष से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे साम्प्रदायिक उन्माद को बढ़ाने और इससे जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाने के जरिए राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहना चाहेंगे। भाजपा एवं संघ परिवार के इन विभाजक मंसूबों के विरोध में वाम पक्षी ताकतों को आगे बढ़ कर अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके साथ ही वाम पक्षी ताकतों को अपनी मौजूदा ताकत के बल पर ही प्रमुख प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना होगा क्योंकि संसद में वाम पक्ष की ताकत सिकुड़ गई हैं इसलिए उसे संसद के बाहर श्रमिक वर्ग को लामबंद करने के लिए पहलकदमी करनी होगी; उसे साम्प्रदायिक एवं विभाजक मंसूबों के खिलाफ मजदूर वर्ग की एकता को बनाए रखने, प्रतिरोध का निर्माण करने, नव–उदारवादी नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाईयों में रुकावट डालने व उन्हें रोकने और श्रमिकों के अधिकारों के खिलाफ संघर्ष चलाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।

4.3 मंदी के दुष्प्रभावों के खिलाफ

4.3.1 जनवरी 2009 में आयोजित कार्य समिति की बैठक में पारित महासचिव की रिपोर्ट में पूरे विस्तार के साथ भूमण्डलीय स्तर पर वित्तीय मैल्टडाउन और उससे जुड़े मंदे के पूरे चक्र पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार क्षतियों, वेतन कटौतियों, ले–ऑफ अथवा बैठकी, छंटनियों, कामबंदियों, बिना वेतन जबरी छुट्टी इत्यादि के रूप में भारत के मजदूर वर्ग पर भूमण्डलीय मंदी के गहरे दुष्प्रभावों का उल्लेख भी किया गया था। उसके बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है। विभिन्न सूत्रों से उपलब्ध अनुमानों के अनुसार निर्यातोन्मुखी तथा गैर निर्यातोन्मुखी दोनों क्षेत्रों में 25 लाख से अधिक मजदूरों की आजीविका छिन चुकी है। यद्यापि हम कुछेक राज्यों को छोड़ कर हमारे अपने संगठन के भीतर इसके कुल आंकड़े मौजूद नहीं हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार 6 लाख से अधिक रोजगार क्षतियां हुई हैं; यह तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण 2008–09 में प्रतिबिम्बित हुआ है। यह अनुमान कम करके लगाया गया है इसमें संदेह नहीं। यहां तक वाणिज्य सचिव ने अपने एक प्रेस वक्तव्य में रेखांकित किया था कि अकेले निर्यातोन्मुखी सेक्टर में ही मार्च 2009 तक लगभग 15 लाख लोग अपनी आजीविका खो चुके थे।

4.3.2 एक बात हमें विशेष तौर पर समझ लेनी चाहिए। हमें प्रतिरोधी संघर्ष अथवा कम से कम संगठित ट्रेड यूनियनों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विशाल रोजगार क्षतियों के खिलाफ चलाए गए संघर्षों के अधिक समाचार नहीं मिले हैं। उनमें से अनेक निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में नोएडा, हरियाणा में गुड़गांव, गुजरात में हीरों की पालिश करने वाले सेक्टर, देश के विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी सांगठनिक उपस्थिति बहुत कम है। क्या उन सभी क्षेत्रों तथा देश भर में विभिन्न राज्यों सीआइटीयू की इकाईयों की ओर से पीड़ित मजदूरों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की कोशिशें की गई हैं अथवा उनके प्रति एकजुटता अथवा उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कोई उद्यम किया गया है या नहीं? इसके विस्तृत समाचार हमारे पास नहीं हैं जबकि सीआइटीयू कार्य समिति की पिछली बैठक में हमने इस बात पर जोर दिया था और इसे अपनी गतिविधियों तथा अभियानों में एक महत्वपूर्ण काम माना था।

4.3.3 मध्यवर्ती अवधि में हुए आम चुनाव और उसमें हमारे व्यस्त रहने को हो सकता है हमारी इस विफलता के लिए एक कारण मान लिया जाए किन्तु इससे स्थिति पूरी तरह साफ नहीं होती। जब श्रमिक बुरी हालत मे हों और उनमें आक्रोश हो तब उन क्षेत्रों जिनमें हम पहले नहीं थे, में जाकर उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के अवसर का लाभ संगठन के सभी स्तरों पर हमारी ओर से जो जागरूक प्रयास किए गए वे जरूरत से कहीं कम थे; बहुत कुछ कहना बाकी है और बहुत कुछ करना शेष है। हमने जो जागरूक पहलकदमियां की हैं वे बहुत नाकाफी हैं। मध्यवर्ती अवधि में इसके लिए राज्य स्तर पर योजना बनाने की जरूरत थी और केन्द्र को लगातार स्थिति पर नजर रखनी चाहिए थी। केन्द्र को चाहिए था कि मंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग को संगठित करने के काम की निगरानी करता जिसके लिए सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक में जोर दिया गया था। हम प्रभावी ढंग से यह काम करने में विफल रहे हैं। मध्यवर्ती अवधि में यह हमारे अभियान और गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, हम इसे समझ पाने और इसे मानने में असफल रहे हैं।

4.3.4 तथापि चुनावों के बाद के परिदृश्य में हमें इस जरूरी काम को पूरी गम्भीरता से लेना होगा। भूमंण्डलीय संकट पर हमारे अभियान का उद्देश्य सामान्य तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था के दिवालियापन और विशेष तौर पर सट्टाबाजार की शर्मनाक आपराधिकता जिसे नव–उदारवादी सत्ता के अन्तर्गत विनियमित वित्तीय क्षेत्र की ओर से जानबूझ कर हवा दी जा रही है, को बेनकाब करना होना चाहिए। इसके साथ ही सीआइटीयू को मजदूरों जिनकी आजीविका विभिन्न क्षेत्रों में मंदी के नाम पर छीनी जा चुकी है, के हितों के लिए अग्रिम पंक्तियों में आकर लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए जागरूक पहलकदमियां करनी होंगी। जो लोग पहले ही अपना रोजगार खो चुके हैं उन्हें सीधे तौर पर राहत पहुंचाने के साथ–साथ दूसरे मजदूरों के रोजगार की रक्षा के संघर्ष के लिए उन्हें लामबंद करना होगा। मालिकों अथवा सेवायोजकों को तथाकथित उत्प्रेरण ;जपउनसनेद्ध पैकेज देने की बजाए पीड़ित मजदूरों को सीधे तौर पर राहत देने की मांग की जानी चाहिए अथवा उत्प्रेरण ;जपउनसनेद्ध पैकेज देने की मांग के साथ यह शर्त जोड़ दी जाए कि इसके बदले में ''मजदूरों की छटनी नहीं की जाएगी और न ही उनके वेतनों में कटौती होगी'' और हमें इस मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना होगा। वित्तीय संकट के खिलाफ संघर्ष तथा अभियान के लिए मांगों का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है जिसका उल्लेख जनवरी 2009 में सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक में पारित महासचिव रिपोर्ट में किया गया था। इन मांगों के आधार पर हम अपने अभियान चला सकते हैं और मजदूरों को लामबंद कर सकते हैं। विशेष तौर पर प्रभावित क्षेत्रों और सेक्टरों को इसका केन्द्र बिन्दु बनाया जाना चाहिए।

4.3.5 यही नहीं, अर्थव्यवस्था और मजदूर वर्ग पर होने वाले सभी हमलों का प्रभावशाली एवं करारा जवाब देने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। भले ही सत्ताधारी वर्ग मंदी और संकट की गहराई का आंकलन कितना भी कम करके क्यों न करें किन्तु वास्तविकता तो यह है कि देश में आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है और जहां तक आम लोगों का सम्बन्ध है, उनकी बारे में कुछ न पूछें तो बेहतर होगा।

4.4 महंगाई

4.4.1 मुद्रा स्फीति की दर में गिरावट का बड़े जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह दर अब नकारात्मक आंकड़े को छू रही है, पर इस सबके बावजूद सभी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं ओर इसके चलते खाद्य मूल्य सूचकांक पहले ही 8 प्रतिशत के स्तर से ऊपर जा चुका है। यह बात मौजूदा आर्थिक सर्वेक्षण में भी स्वीकार की गई है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में सट्टाबाजारियों के हित में चावल, गेहूं तथा दालों सहित सभी उपभोक्ता वस्तुओं के वादा व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है। वर्तमान बजट में पहले ही उपभोक्ता विनिमय कर को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है जिससे उपभोक्ता बाजार में सट्टाबाजार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं जबकि फार्वर्ड मार्किट्स कमिशन ऑफ इंडिया की पाक्षिक रिपोर्ट के अनुसार सट्टाबाजारी पहले ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। बजट से पहले डीज़ल तथा पेट्रोल के मूल्यों में बढ़ोतरी का अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि पर विनाशकारी दुष्प्रभाव पहले ही पड़ चुका है। इसके साथ एक और घटना घटी है; देश में इस बार धान की बुआई कम हुई है (13.66 लाख हैक्टेयर) अर्थात् इस वर्ष इसमें 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। दूसरे अनाजों की बुआई में भी 53 प्रतिशत की कमी आई है। ये बातें गहरे हो रहे कृषि संकट की

ओर संकेत करती हैं। इसके चलते 2008–09 में कृषि क्षेत्र की जीडीपी में गिरावट आई है और यह केवल 1.6 प्रतिशत रह गई है। मानसून के देरी से आने के कारण स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई है जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं के दाम और बढ़ जाएंगे ओर देश के अनेक इलाकों में सूखे का खतरा पैदा हो गया है।

4.5 खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी की रेखा का वैज्ञानिक ढंग से दोबारा निर्धारण करना

4.5.1 वर्तमान सरकार गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने की घोषणा करके स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर सकती है। किन्तु आधिकारिक गरीबी की रेखा इतनी हास्यास्पद है और इतनी नीचे की है कि गरीबों की एक विशाल संख्या उसके अन्तर्गत आती ही नहीं है और वह उससे बाहर रह जाती है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार गरीबी की रेखा की परिभाषा में वे लोग आते हैं जो 2 डालर प्रति दिन से आय पर अपना जीवन यापन करते हैं और जिन लोगों की आय 1 डालर प्रति दिन से भी कम है वे घोर दरिद्रता की स्थिति में माने जाते हैं। भारत में आधिकारिक परिभाषा के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे वे लोग आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 11.3 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 18.5 रुपए प्रति व्यक्ति की दैनिक आय पर गुजर बसर करते हैं और इस तरह देश की लगभग 26 प्रतिशत जन संख्या सरकारी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। दूसरी ओर उसी यूपीए सरकार की ओर से गठित किए गए एनसीइयूएस (असंगठित क्षेत्र के उद्यमों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग) की रिपोर्ट के अनुसार 77 प्रतिशत से अधिक जन संख्या 20 रुपए प्रति दिन से कम आय पर गुजर बसर करती है और लगभग 51 प्रतिशत लोग 18 से 20 रुपए के बीच प्रति दिन की आय पर अपना काम चलाते हैं। उनके उपभोग का स्तर क्या होगा, इसके बारे में सोचा ही जा सकता है पर एक बात साफ है, ये लोग घोर दरिद्रता की हालत में रह रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त एन सी सक्सेना की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक पैनल की नियुक्ति की गई, इस पैनल के अनुमान पहले अनुमानों से अलग हैं; उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 700 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय के आधार पर देश की 50 प्रतिशत से अधिक जन संख्या गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। कुल मिला कर सरकार की आधिकारिक गरीबी की रेखा और उसके अनुमान घोर दरिद्रता की चक्की में पिस रहे लोगों की विशाल बहुसंख्या को उसकी अपनी योजनाओं के लाभों से वंचित रखने की घिनावनी खेल के अलावा और कुछ नहीं हैं। सरकार राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस तरह की योजनाओं का प्रचार कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि तथाकथित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरी सामाजिक सुरक्षाओं और कल्याण योजनाओं के लिए सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है। गरीबी के इन्हीं मानदण्डों का इस्तेमाल करते हुए सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नब्बे प्रतिशत श्रमिकों को उसके लाभों से वंचित करना चाहती है जिनका वादा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में किया गया था।

4.5.2 हम पहले ही मांग कर चुके हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाए ताकि लोगों को बढ़ती महंगाई से बचाया जा सके। इससे काफी हद तक महंगाई तथा उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में सट्टाबाजारी पर काबू पाया जा सकेगा। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने और पूरी जन संख्या को उस अधिनियम के अन्तर्गत लाने मांग करते समय नए सिरे से गरीबी की रेखा का निर्धारण करने की मांग को लोकप्रिय बनाना होगा; हमें मांग करनी होगी कि गरीबी की नयी रेखा का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर किया जाए; उसमें समुचित आय/उपभोग की मात्रा के मानदण्ड निश्चित किए जाएं और गरीबों की पूरी संख्या को इस रेखा के नीचे शामिल किया जाए और इसके लिए उसकी पहचान की जाए। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनमें गरीबों की पूरी आबादी को शामिल कराना, उन्हें उन कार्यक्रमों के लाभ दिलाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए न कि उनके लाभ की हकदार गरीबों की विशाल श्रेणियों को उन कार्यक्रमों के दायरे से बाहर निकालना हो जबकि सत्ताधारी वर्ग की ओर से आम आदमी के नाम पर यही किया जा रहा है।सरकारी गरीबी की रेखा सरकार के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग करके वह जहां समतामूलक विकास की दुहाई दे रही है वहीं गरीबों की विशाल बहुसंख्या को गरीबी की रेखा के नीचे से निकाल कर उसके लाभों से

वंचित कर रही है। आने वाले दिनों में ऊर्जा, उर्वरक, मिट्टी का तेल, आवास तथा गरीब जनता की दूसरी बुनियादी जरूरतें बहिष्करण के इस गंदे खेल की चपेट में आ जाएंगी।

4.5.3 विभिन्न जन संगठनों की पहलकदमी पर नयी दिल्ली में 26 अगस्त, 2009 को खाद्य सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जहां लोगों को उचित खाद्य सुरक्षा देने की मांग की जाएगी वहीं इसके लिए अखिल भारतीय आंदोलन का कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा। सीआइटीयू को देश भर में इस अभियान को सफल बनाने के लिए पहलकदमी करनी चाहिए।

4.5.4 आर्थिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय बजट से पता चल जाता है कि सरकार आर्थिक तथा श्रम सम्बन्धी नीतियों के मोर्चे पर किस तरह के कदम उठाने जा रही हैं। सीआइटीयू को उसके अनुसार खुद को तैयार करना होगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सेक्टरवार इसका मुकाबला किया जा सके।

5.1 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के श्रमिकों का आंदोलन और विनिवेश

5.1.1 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों का विनिवेश जोर शोर से चल रहा है। एक के बाद दूसरी इकाई विनिवेश की चपेट में आती जा रही है। हमें तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित उद्योगों में इसके खिलाफ विरोध की कार्रवाईयां करनी होंगी और इस संघर्ष में दूसरे श्रमिक संगठनों को भी शामिल करने का यत्न करना होगा।

5.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र में सीआइटीयू यूनियनों की समन्वय समिति की एक बैठक 26 जून 2009 को कोची में आयोजित की गई थी और उस बैठक ने घटक इकाईयों को आह्वान किया था कि ज्यों ही सम्बन्धित उद्योग में विनिवेश की कार्रवाई की जाए त्यों ही वे तत्काल विरोध की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें और इसके साथ ही वे समग्र रूप में पूरे सार्वजनिक क्षेत्र में संघर्ष की संयुक्त कार्रवाई की तैयारी करें। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच (सीपीएसटीयू) के भी विस्तारित सत्र का आयोजन 27 जून 2009 को विरोध की कार्रवाईयों के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए किया गया था। शुरूआती तौर पर सीपीएसटीयू के साथ जुड़े सभी श्रमिक संघों की ओर से अपनी–अपनी इकाईयों में 22 जुलाई 2009 को विनिवेश के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे और प्रधान मंत्री को तारें भेजी गई थीं। कोयला उद्योग में, इंटक तथा बीएमएस के साथ सम्बन्ध महासंघों सहित सभी महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से कोल इंडिया प्रबंधन के उस वक्तव्य के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया जिसमें उसने कोल इंडिया लिमिटेड के दस प्रतिशत शेयर बेचने की बात कही थी। उसने निजीकरण, विनिवेश और आउटसोर्सिंग के खिलाफ संयुक्त आंदोलन चलाने का आह्वान किया था।

5.1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों का आंदोलन पहले ही वेतन वार्ताओं के दौर में से गुजर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी यूनियनों की ओर से इस मुद्दे पर पहले ही इकाई एवं पीएसयू स्तरों पर विभिन्न प्रकार के आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से चलाए गए और संयुक्त रूप से दूसरों के साथ मिल कर भी चलाए गए। कोयला मजदूरों ने इस वर्ष के जनवरी मास के शुरू में तीन दिवसीय हड़ताल के कार्यक्रम के लिए उद्योग वार तैयारी अभियान की पृष्ठभूमि में पांच वर्ष की अवधि के लिए समझौते के माध्यम से अपने वेतनों में काफी बढ़ोतरी करा ली है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नौ संयंत्रों एवं इकाईयों में सक्रिय सभी यूनियनों की ओर से वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर 28 मई 2009 को हड़ताल की कार्रवाई की गई थी जो पूरी तरह सफल रही। बीईएमएल के श्रमिक भी आंदोलन चला रहे हैं; उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए झूठे आरोप लगा कर आठ दिन का वेतन काट लेने की प्रबंधन की धमकी का बहादुरी से सामना किया। बीएसएनएल यूनियनों ने अपनी मांग पर जोर देने के लिए 19 तथा 20 अगस्त 2009 को हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाई करने का फैसला किया है; उनकी मांग है कि सभी श्रमिकों तथा ठेका मजदूरों के वेतनों में संशोधन किया जाए।

5.1.4 सीआइटीयू की पहलकदमी पर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग की इकाईयों में काम करने वाले ठेका मजदूरों की ओर से 19 दिसम्बर, 2008 को हड़ताल की गई थी और उसके बाद इस्पात उद्योग में काम करने वाले ठेका मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग पर आंदोलन की अनेक कार्रवाईयां की जा चुकी हैं। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के 20,000 ठेका मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की जो पूरी तरह सफल रही थी। इस हड़ताल के कारण प्रबंधन को ठेका मजदूरों की कुछ प्रमुख मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बोकारो इस्पात संयंत्र

के ठेका मजदूरों की ओर से 16 जुलाई 2009 को एक दिवसीय हड़ताल की गई। वेतन संशोधन और विनिवेश के मुद्दों पर राज्यों की राजधानियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के केन्द्रों में अगस्त 2009 में संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन करने और संघर्ष के आगामी कार्यक्रम का निर्धारण करने का फैसला किया गया है। संघर्ष के कार्यक्रम में हड़ताल का कार्यक्रम भी शामिल है।

5.1.5 वित्तीय क्षेत्र के विनियमन ओर बैंकों के विलीनीकरण की कार्रवाई के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की यूनियनें पहले संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। बीमा क्षेत्र के कर्मचारी भी विरोध की कार्रवाईयां करने के लिए तैयार हो रहे हैं जिसमें दो घण्टों की हड़ताल की कार्रवाई भी शामिल है। ये कार्रवाईयां बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने और विनिवेश की कार्रवाई होने की स्थिति में की जाएंगी। बैंक यूनियनों के संयुक्त मंच (यूएफबीयू) ने भी वेतन संशोधन तथा दूसरी मांगों पर जोर देने के लिए 6 तथा 7 अगस्त 2009 को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है और उन्होंने विनिवेश तथा आउटसोर्सिंग की नीति पर अपने पूर्ण विरोध की घोषणा की है।

5.1.6 इस संदर्भ में यहां विशेष उल्लेख किया जाना होगा कि फरवरी 2009 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से बेरोजगारी राहत, नरेगा का शहरी क्षेत्रों में विस्तार करने, सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, संविदाकरण और आकस्मीकरण पर रोक लगाने, असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में सुधार लाने की मांग उठाई थी।

5.2 श्रम अधिकारों पर हमला और लगातार चलने वाले संघर्ष

5.2.1 इसी प्रकार, सेवा योजकों के पक्ष में श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा आक्रमक कार्रवाई की जा सकती है जिसका संकेत आर्थिक सर्वेक्षण में मिला है। संसद के समक्ष पहले ही एक विधेयक लम्बित पड़ा है जिसमें उन उपक्रमों जिनमें काम करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की संख्या 500 तक है, को विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत श्रम कानूनों का पालन करने के बारे में किसी तरह की जवाबदेही से मुक्त करने की बात कही गई है। सरकार की ओर से इस विधेयक पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत्त करने की कोशिश की गई थी किन्तु केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बहुसंख्या ने सरकार के प्रस्ताव के साथ सहमति व्यक्त नहीं की। उल्लेखनीय है कि उन उपक्रमों में भी जहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 40 या इसके आस पास है और अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तरह के उपक्रमों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, दूसरे सेक्टरों या सेवाओं की बात न करें तो भी कहना होगा कि वे सभी इस नए प्रस्तावित कानून की चपेट में आ जाएंगे। संसद में हमारे जोरदार विरोध के कारण वे इस विधेयक को पारित नहीं करा सके थे किन्तु इस बार सरकार निश्चित रूप से इस विधेयक को पारित कराने का यत्न करेगी। और जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में संकेत दिया गया है, सरकार हॉयर एण्ड फॉयर की सत्ता लागू करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के चैप्टर टठ में संशोधन करने का प्रयास करेगी। हमें और देरी किए बिना इसके खिलाफ देशव्यापी संघर्ष चलाने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिएं।

5.2.2 इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अब तक तश्ण मूल स्तर पर मौजूदा श्रम कानूनों को लागू कराने का मुद्दा अधिकांश ट्रेड यूनियन गतिविधियों का लगातार केन्द्रीय मुद्दा बना रहा है। विभिन्न सेक्टरों में श्रमिकों की एक बड़ी संख्या किसी न किसी रूप में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाती रही है। मुख्य तौर ये आंदोलन न्यूनतम वेतनों, कामकाजी घण्टों, सामाजिक सुरक्षा के लाभों तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों से सम्बन्धित श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए किए जाते रहे हैं। अधिकांश आंदोलनों का नेतश्त्व सीआइटीयू द्वारा किया गया या किया जाता रहा है और दूसरे अनेक आंदोलन भी दूसरी ट्रेड यूनियनों की ओर से चलाए जा रहे हैं। हमें इन संघर्षों की रिपोर्ट नहीं मिली और मीडिया में प्रकाशित समाचारों से ही हमें इसकी जानकारी हासिल हुई है।

5.2.3 ट्रेड यूनियन अधिकारों के हाल ही में अनेक संघर्ष चलाए गए हैं। ह्युंडाई के श्रमिकों की ओर से चेन्नै में संघर्ष किया गया जिसका नेतश्त्व सीआइटीयू ने किया था। एमआरएफ टॉयर श्रमिकों ने तमिलनाडु मे दो स्थानों पर एक स्वतंत्र श्रमिक संघ के नेतश्त्व में 25–30 दिन लम्बी हड़ताल की। ह्युंडाई के श्रमिकों का संघर्ष पिछले दो वर्षों से लगातार चल रहा है; उन्होंने बहादुरी के साथ पुलिस, प्रबंधन तथा प्रशासन के दमन का सामना किया है; उनके संघर्ष के साथ दक्षिण कोरिया में ह्युंडाई के श्रमिकों के आंदोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता व्यक्त की है।

पुडुचेरी में सुसलान एनर्जी लिमिटेड के श्रमिकों ने छंटनी तथा कामबंदी के खिलाफ लम्बा संघर्ष चलाया जिसके चलते प्रबंधन को उनके साथ समुचित समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टूटीकोरिन में साल्ट पैन के लगभग 20000 श्रमिकों ने 19 दिन तक हड़ताल की; हड़ताल के दौरान उन्होंने बहादुरी के साथ पुलिस दमन का सामना किया; उनकी व्यापक स्तर पर गिरतारियां की गई; उनके दृढ़ संघर्ष के कारण सेवायोजकों को उनकी मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन्तु तमिलनाडु में लगभग सभी जगहों पर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अनेक प्रतिष्ठानों अथवा उपक्रमों में यूनियन बनाने का प्रयास किया जाता है तो श्रमिकों का दमन किया जाता है और छंटनियों का चक्र चलाया जाता है। पिछले एक वर्ष की अवधि में संगठित क्षेत्र में लगभग 30 बड़ी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों और यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां की गई हैं। उनका कसूर केवल इतना था कि उन्होंने यूनियन बनाने की कोशिश की थी। और मजदूरों का संघर्ष जारी है।

5.2.4 कर्नाटक में, ठेके पर काम करने वाले श्रमिक बेहतर कामकाजी स्थितियों और ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अनेक तरह की धमकियां दी जा रही हैं और उनका दमन किया जा रहा है।

5.2.5 आंध्र प्रदेश में भी सीआइटीयू की ओर से अनेक संघर्ष चलाए गए जिनमें सबसे उल्लेखनीय संघर्ष राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले 42000 ग्रामीण सेवकों का था; उन्होंने लम्बी हड़ताल की जो 45 दिनों तक चली; आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की; ई–सेवा कर्मचारियों ने 41 दिन लम्बी हड़ताल की; पालिका कर्मचारियों की ओर से तीन दिनों तक हड़ताल की गई।

5.2.6 कोची बंदरगाह के गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों ने प्रबंधन की श्रमिक विरोधी कार्रवाईयों के विरोध में जून 2009 में 15 दिनों तक हड़ताल की। उनकी हड़ताल को तोड़ने के लिए नेवी को लाया गया किन्तु इन श्रमिकों ने साहस के साथ स्थिति का सामना किया। आखिर प्रबंधन हड़ताल के मुद्दे पर यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हुआ और समस्या का समुचित समाधान किया जा सका।

5.2.7 दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के संघर्ष चलाए जा रहे हैं। यह श्रमिक वर्ग के इस निश्चय को प्रतिबिम्बित करता है कि वे किसी भी स्थिति में गुलामी जैसे हालात को सहन नहीं करेंगे। नासिक में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों ने ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए और एक यूनियन नेता पर प्रतिशोध की कार्रवाई किए जाने के खिलाफ हड़ताल की। दुर्भाग्यवश, हमें मजदूरों के इस संघर्ष की लिलित रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है। राज्य समिति से बार–बार अनुरोध किया गया पर इस पर भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। हमारी राज्य/जिला/क्षेत्रीय इकाईयों को इस मामले में जागरूक प्रयास करने चाहिएं; संघर्षों की रिपोर्ट इकट्ठी करना, संघर्ष करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करना जरूरी है। इसके हमें अपने समर्थन के आधार को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।

5.3 रोजगार का बढ़ता संविदाकरण एवं नैमित्तिकरण

5.3.1 देश भर में श्रम शक्ति का बढ़ता चला जा रहा संविदाकरण एवं नैमिंत्तिकरण (casualisation & contractorisation) भारी चिंता का विषय है। संगठित क्षेत्र के उद्योगों में भी संविदा श्रमिकों अर्थात् ठेका मजदूरों की संख्या नियमित श्रम शक्ति से अधिक हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाली कुल श्रम शक्ति में ठेका मजदूरों का हिस्सा पहले ही 50 प्रतिशत से ऊपर चला गया है। निजी क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाली श्रम शक्ति में ठेका मजदूरों का विशाल बहुमत है। यह घटना क्रम श्रमिक आंदोलन के लिए जबरदस्त खतरा पैदा करने वाला है क्योंकि इसके चलते मजदूरों की अपनी बात कहने और उसके लिए संघर्ष करने की ताकत कम हो रही है। इसलिए श्रमिक आंदोलन के लिए सर्वोपरि काम ठेका मजदूरों को यूनियनों में संगठित करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों में सक्रिय यूनियनों को संविदा अथवा ठेका मजदूरों को संगठित करने की जिम्मेदारी उठानी होगी और उन्हें अपने संघर्षों के साथ जोड़ना होगा। यदि इस जरूरी काम की अनदेखी की गई तो श्रमिक आंदोलन के लिए यह बात घातक सिद्ध हो सकती है।

5.3.2 इसके साथ ही श्रमिक आंदोलन को ठेका अथवा संविदा श्रमिकों के मुद्दों को उठाना होगा। देश में श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए श्रम शक्ति का संविदाकरण बढ़ रहा है और यहां तक कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों

के स्तर पर भी सरकारी प्रतिष्ठानों में भी संविदा श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। इस संवृत्ति अथवा घटना विकास को देखते हुए संविदा एवं नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए देशव्यापी संघर्ष का निर्माण करने की जरूरत है।

5.3.3 संविदाकरण के बढ़ते घटना विकास का एक और नुकसानदेह पहलू यह है कि संगठित सेक्टर के रोजगार में गिरावट आ रही है और यहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी विभिन्न प्रकार की आउटसोर्सिंग के चलते रोजगार में कमी आई। नव–उदारवादी सत्ता की ओर से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें इस पूरे घटना विकास को गम्भीरता से लेना होगा। समग्र रूप में, नव–उदारवादी नीतियों के फलस्वरूप कामकाजी स्थितियां खराब हुई हैं और संगठित क्षेत्र के रोजगार में गुणात्मक तबदीली आती चली जा रही है; नियमित एवं स्थायी श्रम शक्ति का स्थान संविदा एवं अस्थायी श्रम शक्ति ले रही है और काम की प्रकृति अनौपचारिक बनाई जा रही है; इन परिस्थितियों में श्रमिकों को न कोई अधिकार हासिल है और न ही उन्हें कानूनी संरक्षण मिल रहा है। सेवायोजक श्रम कानूनों का उल्लंघन करके इन स्थितियों अथवा रुझानों को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके साथ ही वे प्रशासन, शांति एवं कानून व्यवस्था के तंत्र और सरकारी मशीनरी के साथ मिल कर अपनी इन गैर कानूनी कार्रवाईयों को कानून सम्मत बनाने के लिए हर तरह के भ्रष्ट हथकण्डे अपना रहे हैं। हमें इस तरह की भ्रष्ट कार्रवाईयों के कुछ समाचार मिले हैं जिसमें हमारी कुछ यूनियनें भी संलिप्त हैं। विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां संविदा श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक काम करते हैं। इस तरह के खतरनाक रुझान को यदि रोका न गया और यदि उसे बढ़ने दिया गया तो इसके दुष्परिणामस्वरूप सबसे अधिक शोषित श्रमिकों की विशाल संख्या ट्रेड यूनियनों से दूर चली जाएगी। सीआइटीयू समितियों को इस विनाशकारी रुझान से खबरदार रहना होगा और उन्हें पूरी मजबूती के साथ इन भटकावों के खिलाफ लड़ना होगा और इस भयावह स्थिति में संघर्ष करते समय मजदूरों को इसके खिलाफ शिक्षित करना होगा।

5.4 कामकाजी स्थलों में बढ़ती दुर्घटनाएं

5.4.1 हाल ही में कामकाजी स्थलों पर होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में चौंका देने वाली सीमा तक वृद्धि हुई है। यह भी एक खतरनाक रुझान है। कामकाजी स्थलों में सुरक्षा एवं संरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं किए जाते; उनकी अनदेखी की जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने की व्यवस्था नहीं की जाती। प्राण घातक घटनाओं के अधिकांश मामलों में संविदा श्रमिक ही शिकार बनते हैं। उनके नाम कारखाने के हाजरी रजिस्टर में भी दर्ज नहीं होते। हाल ही में कुछेक औद्योगिक दुघर्टनाओं का उल्लेख हम यहां करते हैं: फरीदाबाद में लखानी शू फैक्टरी में 1 मई 2009 को आग लगी थी जिसमें अनेक मजदूर जिंदा जल गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जिंदा जलने वाले मजदूरों की संख्या 18 हैं किन्तु असल में 30 से अधिक मजदूर उस अग्निकांड में जिंदा जले थे। मध्य प्रदेश में सिंगरौली के निकट स्थित दो साथ–साथ लगते कारखानों में 5 जुलाई 2009 को विस्फोट हुआ जिसमें 17 मजदूरों की मौत हुई जबकि 35 मजदूर लापता बताए जाते हैं। तमिलनाडु के मदुराई में एक पटाका फैक्टरी में 7 जुलाई 2009 को लगी आग में 18 मजदूर मारे गए; मारे गए मजदूर बाल श्रमिक थे। इन तीनों मामलों में मरने वाले अधिकांश मजदूरों के नाम कारखानों के हाजरी रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं जिसके कारण उनके परिजनों के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति लेने में कठिनाई हो रही है। इन तीनों औद्योगिक दुर्घटनाओं की श्रृंखला में एक और नाम जुड़ जाता है और वह नाम दिल्ली मैट्रो का है। मैट्रो के कामकाजी स्थलों पर हुई दुर्घटनाओं में 7 मजदूर मारे जा चुके हैं। सम्बन्धित सेवा योजकों एवं प्रबंधनों की ओर से श्रम विभाग के निगरानी अधिकारियों के साथ मिल कर कामकाजी स्थलों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बुनियादी कदम न उठाना इन दुर्घटनाओं का बुनियादी कारण था। दिल्ली मैट्रो के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की खराब गुणवत्ता जिनमें उच्च सरकारी अधिकारियों की मिलीभुगत होती है और उनकी भ्रष्ट कार्रवाईयों की शिकायतें दर्ज कराई जाती रही हैं, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सम्बन्धित ठेकेदार गैमों इण्डिया दूसरे क्षेत्रों में भी अनेक औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा है इस पर भी सरकार की ओर से उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। इसके साथ ही तथाकथित "इंस्पेक्टर राज" खत्म करने के नाम पर कामकाजी स्थलों का कानूनी तौर पर निरीक्षण करने की कार्रवाईयां बंद कर दी गई हैं। इसके चलते नव–उदारवाद का अमानवीय चेहरा उजागर हो गया है जिसका एक ही लक्ष्य है–मजदूरों की जान की कीमत पर मुनाफा कमाना और बस कमाते चले जाना।

5.5 सामाजिक सुरक्षा पर हमले

5.5.1 नव–उदारीकरण की सत्ता के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर निरंतर हमला किया जा रहा है। भविष्य निधि पर ब्याज की दरों को पहले ही 12 प्रतिशत से कम करके 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है और यह काम पिछले एक दशक में ही हुआ है। पिछले लगभग पांच वर्षों में ये ब्याज दरें कम से कम 8.5 प्रतिशत तक स्थिर रखी गई हैं। ऐसा न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार दबाव डाले जाने और ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए उठाई जाने वाली मांग के कारण सम्भव हो सका है।

5.5.2 ट्रेड यूनियनों के घोर विरोध के बावजूद सरकार ने पीएफ संचित कोष के एक भाग के प्रबंधन का काम निजी क्षेत्र की तीन एसैट मैनेजमैंट कम्पनियों को दे देने का फैसला किया है। उनका प्रमुख कारोबार ही शेयर बाजार में पैसे लगाने का है। इसके साथ ही साथ सरकार लगातार पीएफ के संचित कोष के एक भाग को शेयर बाजार में लगाने के लिए कोशिशें करती रही है। उसकी ओर से यह बात सीबीटी की बैठकों में उठाई जाती रही है किन्तु वह अभी तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकी।

5.53 इसी मध्य सरकार ने एक तरफा तौर पर कर्मचारियों की पेन्शन योजना में कम्युटेशन, धन की वापसी जैसे विभिन्न लाभों में कटौती कर दी है जबकि उसने पेन्शन निधि के लिए समय पर अपना अंशदान जमा न कराने वाले अथवा चूककर्ता सेवा योजकों के लिए सजा को कम कर दिया है।

5.5.4 और अंत में पर हमारी बात खत्म नहीं हो जाती, सरकार पेन्शन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक को फिर से लाने की कोशिश कर रही है जिसे यूपीए सरकार के पहले शासन काल में वाम दलों के विरोध के चलते पारित नहीं कराया जा सका था। पीएफआरडीए विधेयक सरकारी कर्मचारियों के मामले में पारिभाषित पेन्शन लाभ योजना की व्यवस्था के स्थान पर पारिभाषित अंशदायी व्यवस्था शुरू करने के उद्देश्य से लाया गया है जहां कर्मचारियों के अंशदान से पेन्शन कोष की संचित राशि का उपयोग शेयर बाजार के लिए किया जा सकेगा और इसके चलते कर्मचारियों को पेन्शन का मिलना अनिश्चित हो जाएगा; उनकी पेन्शन राशि समय–समय पर घटती–बढ़ती रहेगी जो सट्टाबाजार में किए गए निवेश से होने वाली आय पर निर्भर करता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस तरह के घिनावने इरादे का लगातार विरोध करते रहना चाहिए।

5.6 असंगठित क्षेत्र

इसी प्रकार प्रतिरोधी हमले का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष सेक्टर आधारित पहलकदमियां किए जाने की जरूरत है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित किया गया था। यह अधिनियम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराता है। जहां हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच में गरीबी की रेखा से जुड़े अंकुश समाप्त कराने के लिए अभियान चलाना होगा वहीं इसके साथ–साथ हमें इकाई स्तर पर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान करने, इस अधिनियम पर तत्काल अमल करने की मांग को लेकर उन्हें लामबंद करने और उनका नाम योजना के लाभान्वितों जिनकी सूची अधिनियम में दी गई है, में दर्ज कराने, उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी कराने और योजना के अन्तर्गत उन्हें लाभ दिलाने के लिए सांगठनिक स्तर पर पहलकदमियां करनी होंगी। असंगठित क्षेत्र में सक्रिय हमारी यूनियनों को चाहिए कि वे जिला तथा क्षेत्रीय स्तरों पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करें ताकि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिला प्रशासन और राज्य के श्रम विभाग पर दबाव बनाया जा सके। इसके साथ ही सम्बन्धित राज्य सरकारों पर राज्य स्तरीय बोर्डों का गठन करने के लिए दबाव बढ़ाया जाना चाहिए जिसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है और गठित किए जाने वाले बोर्डो में श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व हो।

निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभों के लिए गरीबी की रेखा के आधार पर कोई अंकुश नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। निर्माण क्षेत्र में सक्रिय हमारी यूनियनों को निर्माण श्रमिकों के बीच इसे लागू कराने के लिए विशेष पहलकदमियां करनी चाहिएं। तॅशण मूल स्तर पर यदि हम इस तरह की पहलकदमियां करते हैं तो हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच अपनी

सांगठनिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी और हम उन्हें बड़े संघर्षों के लिए तैयार कर सकेंगे।

6. कामकाजी महिलाएं

6.1 कार्य समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार एक छोटी उप समिति का गठन किया गया है जो सीआइटीयू के महासचिव, कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) की संयोजक, सीआइटीयू केन्द्र से काम करने वाली कार्य समिति सदस्य की एक महिला सदस्य और जनरल कौंसिल की एक महिला सदस्य पर आधारित है। इस उप समिति का काम कामकाजी महिलाओं के बीच किए जाने काम की निगरानी करना है। तथापि, उप समिति की अभी तक बैठक नहीं हो सकी।

6.2 सीआइटीयू में महिलाओं की सदस्य संख्या वर्ष 2007 में कुल संख्या का लगभग 24 प्रतिशत हो गई थी। 21 बड़े राज्यों में से 10 राज्यों में सीआइटीयू की महिला सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है; उनमें से दो राज्यों में महिला सदस्यों की संख्या 50 प्रतिश से अधिक है; 3 राज्यों में महिला सदस्यों की संख्या 25 से 30 प्रतिशत के बीच है; 3 राज्यों में 15 से 25 प्रतिशत के बीच है; केवल चार राज्यों में महिला सदस्यों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड डे मील श्रमिकों इत्यादि के बीच हमारी गतिविधियां बढ़ रही हैं इसलिए न केवल संघर्षों में बल्कि दिन प्रतिदिन की सीआइटीयू की गतिविधियों में महिला सदस्यों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसे सीआइटीयू के आगामी सम्मेलनों और महाधिवेशन में प्रतिबिम्बित किए जाने की जरूरत है। यह काम जिला, राज्य एवं केन्द्र सभी स्तरों पर होना चाहिए। तेरहवें महाधिवेशन और राज्य सम्मेलनों में के लिए महिला सदस्यों की संख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधियों में शामिल किया जाए, सभी राज्य समितियों को इसे यकीनी बनाना होगा। नयी समितियों का चुनाव करते समय भी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6.3 कार्य समिति की जनवरी 2009 में सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आशा तथा मिड डे मील वर्कर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 19 फरवरी 2009 को नयी दिल्ली में किया गया था। दोनों ही सत्रों में उनकी बहुत अच्छी भागीदारी रही। सीआइटीयू के अध्यक्ष तथा महासचिव ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन ने आशा और मिड डे मील वर्कर्स के लिए अलग-अलग अखिल भारतीय मांग दिवस मनाने का आह्वान किया था। आशा कर्मचारियों का अखिल भारतीय मांग दिवस जम्मू एवं कश्मीर सहित अनेक राज्यों में मनाया गया था।

6.4 राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए आशा तथा मिड डे मील वर्कर्स की समन्वय समितियों का गठन करने का फैसला किया गया था। केन्द्र ने इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी करके राज्य समितियों को उन साथियों के नाम भेजने का अनुरोध किया था जिन्हें इन समितियों में शामिल किया जाना है। किन्तु दुःख का विषय है कि अभी तक किसी राज्य समिति ने साथियों के नाम नहीं भेजे हैं। दोनों समन्वय समितियां काम करने लगे इसे यकीनी बनाना जरूरी है। आशा तथा मिड डे मील वर्कर्स के बीच अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का निर्माण किए जाने की सम्भावनाएं बहुत उज्जवल हैं। कामकाजी महिलाओं की इन श्रेणियों को संगठित करने की ओर सीआइटीयू राज्य समितियों को समुचित ध्यान देना होगा। इससे न केवल सीआइटीयू संगठन का प्रसार करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि सीआइटीयू को देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकेगा।

6.5 ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स का छटा अखिल भारतीय सम्मेलन 9-12 अक्टूबर, 2009 को चण्डीगढ़ में होने जा रहा है। यह सम्मेलन वर्ष 2008 की सदस्य संख्या के आधार पर होगा जो इस समय 23 राज्यों में लगभग 3,79,000 है। इस सम्मेलन में 560 प्रतिनिधियों के भाग लिए जाने की सम्भावना है। सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति तथा आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन पंजाब ने सम्मेलन के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्धारित कोटे के अनुसार सभी प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लें, सीआइटीयू राज्य समितियों को इसे यकीनी बनाना चाहिए।

7. संयुक्त संघर्ष

7.1 सीआइटीयू की स्वतंत्र पहलकदमी पर सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों तथा महंगाई के खिलाफ 20 जनवरी 2009 को संसद के आगे विशाल प्रदर्शन किया गया। इसमें भाग लेने के लिए पड़ोसी राज्यों के दस हजार से अधिक श्रमिकों को लामबंद किया जा सका था। संघर्ष की इस स्वतंत्र कार्रवाई के बाद इसी तरह के मुद्दों को लेकर ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के आह्वान पर 18 फरवरी 2009 को संसद के आगे प्रदर्शन किया गया जिसमें 25 हजार लोगों ने भाग लिया।

7.2 सीआइटीयू को बदली हुई स्थिति में आर्थिक नीतियों, मजदूरों तथा आम लोगों के अधिकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ संघर्ष में ट्रेड यूनियनों की व्यापक से व्यापकतर एकता का निर्माण करने के लिए पहलकदमी करनी होगी। हमने ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के दूसरे घटकों के साथ इस बारे में विचार विनिमय करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस बार संघर्षो के मंच को और व्यापक बनाए जाने की सम्भावनाएं मौजूद हैं और बीएमएस भी संयुक्त संघर्ष में शामिल हो सकती है। और यदि हमारे साथियों की ओर से इस दिशा में सेक्टरवार एवं इकाई स्तरों पर जागरूक प्रयास किए जाएं तो हमले बढ़ने के साथ–साथ इंटक से सम्बद्ध यूनियनों तथा दूसरी स्वतंत्र यूनियनों को भी इन देशव्यापी संयुक्त संघर्षो में शामिल किया जा सकता है।

7.3 सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों जिनमें इंटक भी शामिल है, की एक और संयुक्त बैठक 19 जुलाई 2009 को पहले ही की जा चुकी है। उस बैठक में 14 सितम्बर, 2009 को नयी दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 1) अनाजों तथा सब्जियों सहित अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों जिनके कारण आम जनता को भीषण कठिनाईयां झेलनी पड़ रही हैं, 2) आर्थिक मंदी के कारण लगातार होने वाली रोजगार क्षतियों जिनके परिणामस्वरूप सभी सेक्टरों में लाखों श्रमिक अपनी आजीविका से वंचित हो रहे है, 3) न्यूनतम वेतनों, कामकाजी घण्टों, सामाजिक सुरक्षा, कामकाजी स्थलों में सुरक्षा एवं संरक्षा से जुड़े बुनियादी श्रम कानूनों को लागू न किए जाने तथा उनके घोर उल्लंघन, देश भर में ट्रेड यूनियन अधिकारों के हनन जिसके चलते मेहनतकश अवाम की तकलीफों तथा कष्टों में इजाफा हो रहा है, 4) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में ऐसे प्रावधान एवं योजनाओं के न होने जिसके कारण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विशाल संख्या और संविदा श्रमिकों को पर्याप्त राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि इस अधिनियम में अंकुशकारी प्रावधान किए गए हैं और एनसीईयूएस तथा श्रम पर स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कोष का गठन नही किए जाने, 5) लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किए जाने की कार्रवाईयों के खिलाफ किया जा रहा है।

7.4 बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में, विशेष तौर पर विनिवेश और दूसरे नव–उदारवादी कदम उठाने के लिए केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से आक्रमक पहलकदमी किए जाने की पृष्ठभूमि में उपरोक्त मुद्दों पर सभी श्रमिक संगठनों का संयुक्त संघर्ष करना निःसंदेह एक महत्वपूर्ण घटना है। किन्तु इस एकता को बनाए कैसे रखा जाए और किस तरह उसे और आगे बढ़ाया जाए, यह देखना अभी बाकी है। भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष के मंच को और व्यापक बनाने तथा मजबूत करने के लिए सीआइटीयू को सभी स्तरों पर पहलकदमी करनी होगी और ट्रेड यूनियंनों की आयोजन समिति को इसका लाभ उठा कर श्रमिकों की व्यापक से व्यापकतर एकता का विकास तृण मूल स्तर पर करना होगा।

8. संगठन

8.1 संयुक्त संघर्षों की सफलता निर्णायक तौर लामबंदी की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सीआइटीयू मजबूत नहीं होगा तो मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हमें पूरी गम्भीरता के साथ मेहनतकश अवाम के बीच सीआइटीयू का प्रसार करने और इसे मजबूत बनाने के काम पर खुद को केन्द्रित करना होगा।

8.2 सीआइटीयू को विचारधारक तथा सांगठनिक तौर पर मजबूत बनाने के काम पर विचार करना होगा; इसे नयी स्थितियों तथा हमारे सामने मौजूद चुनौतियों के आलोक में किया और समझा जाना चाहिए। अपनी विचारधारक

समझ को नवीन बनाने और बार–बार उस समझ को तीखा करने का काम हमें करते रहना चाहिए। मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा और तात्कालिक मांगों के लिए रोजमर्रा के संघर्ष के लिए आगे बढ़ाए जने वाले प्रत्येक कदम पर हमें पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारे संघर्ष के उद्देश्य को हर समय आंखों के सामने रखना होगा।

8.3 हमारे संगठन के प्रत्येक स्तर पर हमारा एक काम अपने भीतर संघर्ष की क्षमता को पैदा करना और उसका विकास करना है। श्ह काम नीचे से ऊपर तक होना चाहिए ताकि जहां तक सम्भव हो सके हम मजदूर वर्ग की व्यापक से व्यापक श्रेणियों के बीच पहुंच सकें और उन्हें संघर्ष की संयुक्त कार्रवाईयों के लिए लामबंद कर सकें और उसके साथ–साथ मेहनतकश अवाम की व्यापक श्रेणियों के बीच संघर्ष की अपनी राजनीति तथा विचारधारा को पहुंचा सकें और मजदूरों की ट्रेड यूनियन जागरूकता का स्तर ऊंचा करके उसे वर्गीय जागरूकता में तबदील कर सकें। इसके लिए हमें संयुक्त संघर्षों के मुद्दों पर श्रमिकों के बीच स्वतंत्र रूप में अभियान चलाना होगा। प्रत्येक स्तर पर हमारे नेतृत्व में संघर्ष को आगे बढ़ाने की क्षमता पैदा करने के काम को आगे बढ़ाते हुए ट्रेड यूनियन संघर्षों और पूरी जनता के संघर्ष तथा इसके साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के लिखफ संघर्ष के बीच की खाई को पाटना होगा।

8.4 यदि विभिन्न स्तरों पर हमारे नेतश्त्व और उद्योग एवं इकाई स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के बीच चहुंमुखी पहलकदमियां नहीं की जाएंगी तो उपरोक्त कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। संगठन के विभिन्न स्तरों और विशेष तौर पर इकाई के स्तर पर आंदोलन एवं राजनीतिक–संगठनात्मक काम के लिए हमारी पहलकदमियों का अभाव देखने को मिलता है; यह सब यूनियनों एवं सांगठनिक समितियों के काम के जनवादी तरीके में गम्भीर कमियों के कारण हो रहा है। इसके दुष्परिणामस्वरूप हमारी पहलकदमियों में गम्भीर रुकावटें पैदा होती हैं और संगठन के प्रत्येक स्तर के नेतश्त्व के जरूरी राजनीतिक एवं सांगठनिक कामों में गलतियां होने लग जाती हैं। हम अपने प्रभा मण्डल से बाहर निकल कर श्रमिकों की विशाल संख्या के बीच पहुंच नहीं पाते और यदि पहुंचने की कोशिश करते हैं तो अनेक रुकावटें हमारे आड़े आती हैं। हमें अपने संगठन के हर स्तर पर रोजमर्रा के कामों में पाई जाने वाली अपनी कमियों को दूर केरना होगा। इसका दुष्परिणाम विभिन्न स्तरों पर मजदूरों की चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के हमारे काम पर भी पड़ता है। साधारण मजदूर जो कामकाजी स्थल के स्तर पर ट्रेड यूनियन बनाता है, को उसके नेतश्त्व की ओर से निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता जो उसका जनवादी अधिकार है; साधारण मजदूर को उसके जनवादी अधिकार से वंचित करके हम मजदूर तथा यूनियन के सम्पर्क और मजदूरों के साथ भाईचारा स्थापित करने के अपने काम को कमजोर करते हैं। इसके चलते आखिरकार हमारे समर्थन का आधार सिकुड़ने लग जाता है और यूनियन की प्रतिकारक क्षमता में भी गिरावट आ जाती है।

8.5 सीआइटीयू के विस्तार और उसके जनाधार पर भी इस कमजोरी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर नेतश्त्व में सामूहिक कार्य प्रणाली को विकसित करने के स्थान पर उसे व्यक्ति केन्द्रित बनाए जाने के कारण इस तरह का घातक रुझान पनपता है। इसके चलते संगठन के कामों में अनेक तरह को दोष एवं भटकाव पैदा होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। इसके कारण साधारण मजदूर हमसे विमुख होने लगते हैं।

8.6 सम्पूर्ण मजदूर वर्ग के नेता के रूप में अपनी संविधानिक प्रतिबद्धताओं पर लगातार डटे रहने के साथ–साथ संघर्ष के हथियार के रूप में सीआइटीयू के निर्माण में जनवादी कार्य प्रणाली का राजनीतिक एवं विचारधारक महत्व है, किन्तु उसका अभाव पाया जा रहा है; यही बड़ी कमी है जो संगठन और यूनियनों की जनवादी कार्य प्रणाली में लगातार चल रही है। यही सभी कमियों की जड़ है जिस पर हमें प्रहार करना होगा और इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। यह कमजोरी हमारे सदस्यता अभियान की प्रकृति, सभी सेक्टरों और राज्यों में सदस्य संख्या के प्रसार, लामबंदियों तथा संघर्षों के दौरान मजदूरों की उल्लेखनीय संख्या को सीआइटीयू के सदस्य बनाने में हमारी अक्षमता के रूप में प्रतिबिम्बित होती है। इसका दुष्प्रभाव उद्योगों और सेवाओं के नए क्षेत्रों में मजदूरों को संगठित कर पाने की हमारी अक्षमता के रूप में भी प्रतिबिम्बित होता है। यह कमजोरी पिछले दशक में उभर कर सामने आई है। अधिकांश क्षेत्रों में भूमण्डलीय मंदी की विनाश लीला साफ देखने को मिल रही है और मजदूर व्यापक स्तर पर तेजी से अपनी आजीविका खोते चले जा रहे हैं फिर भी सांगठनिक तौर पर वहां मौजूदगी वहां देखने को नहीं मिलती।

8.7 इन बदली हुई परिस्थितियों में जहां हमारे सामने अनेक तरह की गम्भीर चुनौतियां मौजूद हैं और हमें उनका

सामना करना है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम भुबनेश्वर दस्तावेज के आलोक में अपनी संगठनात्मक स्थिति की आत्म आलोचनात्मक तरीके से गम्भीर समीक्षा करें। यदि हमें चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, सम्पूर्ण मेहनतकश अवाम को संगठित करना हैं और उसे आने वाली लड़ाईयों के लिए लामबंद करना है तो हमे यह काम करना ही होगा। यह समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जनरल कौंसिल को इस पर विचार करना होगा और उसे इस समीक्षा के कार्य की प्रक्रिया के बारे में फैसला करना होगा।

8.8 इसलिए प्रस्ताव किया जाता है कि

♣ भुबनेश्वर दस्तावेज के आलोक में जिला तथा राज्य स्तर पर हमारी सांगठनिक स्थिति की पूर्ण समीक्षा की जाए। इसके लिए सांगठनिक कार्य शालाओं का आयोजन किया जाए और यह काम अगले दो महीनों की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए।

♣ समीक्षा में नियमित संगठनात्मक काम को लिया जाना चाहिए जिसमें सदस्य बनाने और सदस्यता के नवीरकरण के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, सीआइटीयू के पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में सदस्य संख्या में वार्षिक बढ़ोतरी (या गिरावट), वे सेक्टर जहां सीआइटीयू का काम नहीं है, विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं को विचारधारक, संगठनात्मक तथा आंदोलनात्मक दृष्टि से शिक्षित करने के लिए की गई पहलकदमियां और यह काम कितने अंतराल में किया जाता है, संयुक्त आंदोलन में दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर की गई पहलकदमियां और उनकी स्थिति इत्यादि भी शामिल हैं।

♣ उद्योगवार अखिल भरतीय महासंघें और राज्य स्तरी यूनियनों एवं फैडरेशनों को भी अलग–अलग तौर पर अपने अपने काम की समीक्षा करनी चाहिए।

♣ सीआइटीयू केन्द्र को भी भुबनेश्वर दस्तावेज के आलोक में अपनी जिम्मेदारियों के संदर्भ में इस तरह की समीक्षा करनी चाहिए।

♣ समीक्षा की रिपोर्ट सीआइटीयू केन्द्र को नवम्बर 2009 के पहले सप्ताह तक भेज देनी चाहिए ताकि इस रिपोर्ट का केन्द्र की रिपोर्ट के साथ एक जिल्द के रूप दिया जा सके और इसे आगे के विचार विमर्श के लिए सभी राज्य समितियों को उपलब्ध कराया जाए।

8.9 इस समय हम सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं जो फरवरी 2010 के मध्य में होगा, जिला एवं राज्य सम्मेलनों का आयोजन भी अखिल भारतीय महाधिवेशन से पहले होगा। जिला तथा राज्य सम्मेलनों की योजना इसके अनुसार बनाई जा सकती है ताकि सांगठनिक समीक्षा की रिपोर्ट और उसमें विभिन्न स्तरों पर निश्चित किए गए कार्यों के बारे में सम्मेलनों में विचार विमर्श किया जा सके और उस पर एक समान समझ का विकास किया जा सके अथवा यदि किसी जनपद में अगले दो महीनों के बीच सम्मेलन का आयोजन करने की योजना बनती है तो सम्मेलन खुद ही एक कार्यशाला का आयोजन करके संगठनात्मक समीक्षा का काम कर सकता है। राज्य समितियों राज्य स्तरीय यूनियनों को इस मामले में जिला समितियों का मार्ग दर्शन करना होगा। संगठनात्मक समीक्षा पर एक प्रश्नावली तैयार करके रिपोर्ट के साथ वितरित की जानी चाहिए।

8.10 राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलनों में असल मजदूरों को प्रतिनिधियों के रूप इस काम में शामिल करने पर जोर देना होगा, यह बात नोट की जानी चाहिए। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं को कुल सदस्य संख्या में उनके हिस्से के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

8.11 सीआइटीयू की स्वतंत्र पहलकदमी अथवा संघर्षों के संयुक्त मंचों के माध्यम से आंदोलन की दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय करना होगा फिर भी हमें गम्भीरता के साथ समीक्षा करने के लिए अलग से समय निकालना होगा।

9. सदस्यता

9.1 सीआइटीयू का तेरहवां महाधिवेशन वर्ष 2008 की सदस्य संख्या के आधार पर फरवरी 2010 के मध्य में होने जा रहा है। कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन महाधिवेशन से पहले होगा, हम उस सम्मेलन की तिथियों और स्थान के बारे में फैसला करना है। किन्तु सीआइटीयू केन्द्र को 22 जुलाई 2009 तक विभिन्न राज्यों से जो वार्षिक

विवरणियां और सम्बद्धता शुल्क मिले हैं, वे हमारी असल सदस्य संख्या का बहुत छोटा हिस्सा हैं–बीस प्रतिशत से भी कम। हम पहले ही इस सम्बन्ध में राज्य समितियों को लिख चुके हैं और हमने उनसे जनरल कौंसिल बैठक से पहले या उस समय वर्ष 2008 के साथ–साथ पिछली सभी बकाया राशियों को भेजने का अनुरोध किया है।

10. निष्कर्ष

10.1 कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन हो हाल ही के चुनावों में मिली जीत के कारण उसकी बेहतर स्थिति बहुत देर तक बनी नहीं रहेगी। आर्थिक संकट से ग्रस्त वर्तमान स्थिति लगातार बनी हुई है। ऊपर से नव–उदारवादी नीतियों के अनुसार शासन चलाने की मजबूरी के चलते यह स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। इसका नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप लोगों को मोह भंग होने लगेगा। यदि हम उसकी नीतियों के खिलाफ प्रभावशाली ढंग से अभियान चलाते हैं तो उसके प्रति लोगों का मोह भंग तेजी से होगा।

10.2 हमें मेहनतकश अवाम को तीखे संघर्षों के लिए लामबंद करके इस स्थिति से निपटने के लिए देश भर में अभियान एवं आंदोलन चलाने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए हमें जहां एक और संघर्ष के संयुक्त मंचों को व्यापक बनाने के लिए काम करना होगा वहीं दूसरी ओर सीआइटीयू को सभी स्तरों पर विचारधारक एवं सांगठनिक रूप से तैयार रहना होगा, उसे चुनावी संघर्ष तथा चुनावी नतीजों के अपने अनुभवों से सबक सीखना होगा।

10.3 हमने कार्य समिति की जनवरी 2009 में सम्पन्न बैठक में निर्धारित मांगों के लिए श्रमिकों के बीच सघन अभियान के कार्यक्रम चलाने चाहिएं। ये मांगें अब भी प्रासंगिक बनी हुई हैं क्योंकि आर्थिक मंदी की हालत और गम्भीर होती चली जा रही है और इसका व्यापक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इस अभियान में हमें विशेष रूप से पांच मांगों पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा जिनकी पहचान सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से की थी और जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही यूपीए–2 सरकार की ओर से अपनाई गई नीति पर भी पूरा ध्यान देना होगा जो आर्थिक सर्वेक्षण एवं केन्द्रीय बजट में प्रतिबिम्बित होती है। सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में साम्राज्यवाद की धिनावनी भूमिका और उसके राजनीतिक एवं विदेश नीति के मोर्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमारे स्वतंत्र अभियान को जहां तक सम्भव हो सके मेहनतकश अवाम की व्यापक से व्यापकतर श्रेणियों जिसमें दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से जुड़े श्रमिक, कर्मचारी एवं मेहनतकश अवाम भी शामिल हैं, के बीच ले जाना होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में और अधिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं इसलिए उनका सामना करने के लिए मजदूरों को लामबंद करने के साथ–साथ बड़े संघर्षों की बुनियाद को मजबूत बनाना होगा।

10.4 हमें पूरी गम्भीरता के साथ संघर्षों के संयुक्त कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और ऐसा करते समय हमें संयुक्त कार्यक्रम चलाने से पहले संयुक्त आंदोलन के उन मुद्दों पर मजदूरों के बीच स्वतंत्र अभियान चलाना होगा। यदि हम नव–उदारवाद और साम्राज्यवाद की ओर से किए जाने वाले आगामी हमलों के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाना चाहते हैं तो हमें तृणमूल स्तर पर मजदूरों की असल एकता तथा उनकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना होगा और इस दृष्टि से यह अभियान हमारे लिए निर्णायक महत्व का है।

10.5 हमें पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से श्रमिक आंदोलन के रास्ते की सभी रुकावटों को पार कर जाएंगे और आंदोलन को नयी बुलंदियां प्रदान करेंगे। लेनिन ने 1905 में जो कहा था, वह हमें याद रखना चाहिए, ''रोना–चिल्लाना छोड़ो साथियो, हम निश्चित रूप से जीतेंगे क्योंकि हम सही हैं।''

अभिवादन सहित,

आपका साथी

मोहम्मद अमीन
महासचिव

संगठन की समीक्षा के लिए प्रश्नावली

भुबनेश्वर दस्तावेज को लागू करने के बारे में

ट्रेड यूनियन संगठन पर अब तक का सबसे व्यापक एवं ठोस दस्तावेज जिसे बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था, के पारित होने के बाद वर्ष 2000 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भुबनेश्वर दस्तावेज पर हम कितना अमल कर सके हैं और उसमें जो काम दिए गए हैं, उन्हें हम कहां तक पूरा कर सके हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन हुआ था। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए हमने समय समय पर इसी तरह की कुछ और कोशिशें भी की हैं। इस दस्तावेज को पारित हुए पंद्रह वर्ष हो गए हैं इन पंद्रह वर्षों की अचधि में हमने इस दिशा में क्या कुछ किया है, उस पर नजर डालना और विस्तार में जाकर समीक्षा करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। सांगठनिक तौर इस काम को समुचित ढंग से करने के लिए केन्द्र की ओर से राज्यों एवं फैडरेशनों से हासिल रिपोर्टों के आधार पर एक रिपोर्ट पेश करना जरूरी है। इसलिए राज्यों और फैडरेशनों के लिए अत्यंत विस्तश्त एवं ठोस जानकारियों से परिपूर्ण रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। इसी मनोरथ से हम उन्हें एक प्रश्नावली भेज रहे हैं अथवा दे रहे हैं ताकि उन्हें अपनी–अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिल सके। उसके अनुसार उन्हें विस्तश्त रिपोर्ट केन्द्र को भेजनी चाहिए। यद्यपि इस प्रश्नावली से उन्हें अपनी रिपोर्ट तैयार करने और अपने कामों की समीक्षा करने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। हर मामले में पिछले तीन–चार वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का उल्लेख किया जाए ताकि उससे यह पता चल सके कि संगठन में निर्धारित कार्यो को पूरा करने के मामले में अब तक हमने कितनी प्रगति की है अथवा हम प्रगति नहीं कर पाए हैं।

सामान्य

1. क्या राज्य समिति ने राज्य में सीआइटीयू संगठन की समीक्षा की है (क) नियमित रूप से (ख) कभी कभार? यदि ऐसा है तो कितने अंतराल में या उसकी बारम्बारता की स्थिति क्या है? क्या समीक्षा का काम भुबनेश्वर दस्तावेज में निर्धारित कार्यो या भुबनेश्वर दस्तावेज के प्रावधानों पर विस्तार में प्रकाश डालने वाले सीआइटीयू के दूसरे दस्तावेजों के प्रसंग में की गई है?
2. अंतिम समीक्षा कब हुई ? अंतिम निर्णय क्या लिए गए ?

विस्तार

इस दस्तावेज की स्वीकृति के सात साल बाद इसके क्रियान्वन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में एक अखिल भारतीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, ताकि इसे लागू करने में आने वाली समस्याओं को पहचानकर उनका हल निकाला जा सके। बहस के लिए कार्यों को बहुत सी मदों (हैड्स) में विभाजित कर दिया गया था। जिसमें 'विस्तार' नाम के मद (हैड) का अर्थ था प्लांट और उद्योग जहां भी हमारी यूनियनें है वहां और अधिक विस्तार करना और नए क्षेत्रों, नए प्लांटों और नए उद्योगों में दाखिल होना।

3. जहां हमारी यूनियनें पहले ही थीं क्या आपने वहां सदस्यता बढ़ाने की योजना बनाई। आपने क्या प्रक्रियाएं और कदम उठाने की योजना बनाई और वास्तव में क्या कदम उठाए? पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन से अब तक? इस दौरान सदस्यता में कितनी कमी आई? कुल बढ़ोतरी?
4. क्या आपने नए प्लांट और उद्योग क्षेत्रों में विस्तार करना अपनी प्राथमिकताओं की योजना बनाकर निर्णय लिए ? आप कितने प्लांटों में कहां तक विस्तार कर पाए? इन नए प्लांटों / क्षेत्रों में कितने सदस्य बना पाए? कश्प्या वर्णन दें।
5. क्या आपने नए विकासशील उद्योगों जैसे आईटी / आईटीईएस एवं अन्य उद्योगों के मजदूरों की स्थिति का अध्ययन किया? क्या आपने इन क्षेत्रों में दाखिल होकर मजूदरों को संगठित करने की कोई रणनीति बनाई? क्या इन क्षेत्रों के मजदूरों से कोई संपर्क स्थापित कर पाए?
6. संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपकी सदस्यता का अनुपात क्या है?

7. क्या आपने असंगठित क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं और इन क्षेत्रों की पहचान की है जहां यूनियन बन सकने की संभावना है?

8. महिला सदस्यता बढ़ाकर कहां तक पहुंची है? महिलाओं की कुल सदस्यता पृथक कर दर्शाएं। क्या आपने राज्य एवं जिला स्तर पर कामकाजी महिला समन्वय समिति और राज्य कमेटियों, राज्य फैडरेशनों, यूनियन के स्तर पर महिला उप समितियों का गठन किया है? कृप्या वर्णन दें। कितनी फैडरेशनों एवं यूनियनों में महिलाओं की उप समितियां बनाई गई हैं? क्या आपने सीआईटीयू राज्य कमेटी के किसी पदाधिकारी को कामकाजी महिला समन्वय समिति की कार्यप्रणाली चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा है? क्या इसकी कार्यप्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है? इसकी कार्यप्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

9. राज्य एवं जिला स्तर पर सीआइटीयू की कार्यकारिणी कमेटी या पदाधिकरियों में कितनी महिलाएं हैं? क्या वे बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहती हैं? यदि नहीं, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या वे बहस में सक्रियता से भाग लेती हैं? क्या उन्हें कामकाजी महिला समन्वय समिति के अतिरिक्त कोई उन्य उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं?

जनवादी कार्यप्रणाली

जनवादी कार्यप्रणाली को आंकड़ों से नही मापा जा सकता। परन्तु आंकड़ों पर आधारित सूचना को पूरी तरह से नकारा भी नही जा सकता।

10. सचिव मंडल की बैठक कितनी बार होती है? औसत उपस्थिति क्या है? बैठक की अवधि ?

11. राज्य कमेटी की बैठक कितनी बार होती है? औसत उपर्स्थिति (तीन वर्ष का औसत)? बैठकों की अवधि (औसत) ?

12. आंकडों में क्या नही आया? क्या सचिव मंडल एक टीम के रूप में कार्य करता है अर्थात् वहां सामूहिक कार्यप्रणाली है या व्यक्तिगत ?

क्या सचिव मंडल विशेषतः राज्य कमेटी में निष्पक्ष बहस होती है? क्या प्रत्येक पुरूष एवं महिला सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा समय मिलता है?

क्या बहस सदस्यों के विचारों के आधार पर होती है या प्रधान नेता या नेताओं द्वारा थोपे गए विचारों पर होती है?

क्या आपने आम सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयत्न किए?

क्या आपने अभियान या आंदोलन के दौरान अन्य यूनियनों या गैर यूनियन मजदूरों तक पहुंचने के कार्य को भी अपने दैनिक कार्यों में शामिल किया है?

प्रत्युत्तर दें।

क्या आप बिना किसी बाहरी दखलअंदाजी के कार्य कर रहे हैं? क्या आपके सामने इस बारे में कोई समस्याएं आई हैं?

शिक्षण एवं प्रशिक्षण: कार्यकर्ता का विकास

13. क्या आपने सभी क्षेत्रों में योग्य साथियों को पहचानकर, शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ता विकास के लिए कोई योजना तैयार की है? क्या उन्हें कोई उत्तरदायित्व सौंपकर उनके कार्य का निरीक्षण किया? क्या महिला कार्यकर्ताओं को पहचानकर उनका विकास करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया?

14. राज्य/ जिला एवं यूनियन स्तर पर पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की संख्या? क्या मजदूरों और महिला मजदूरों मं पूर्ण कालिक कार्यकर्ता बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए?

15. क्या आपने असंगठित क्षेत्र मजदूरों में से कार्यकर्ताओं की पहचान कर उनका विकास करने के प्रयत्न किए?

16. आयोजित की गई कक्षाओं का वर्णन दें, कक्षाओं की संख्या, इन कक्षाओं में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, कक्षा में लिए गए विषय, कक्षा की अवधि इत्यादि। इन कक्षाओं में सीआइटीयू महिला कार्यकर्ताओं की कितनी भागीदारी थी?

17. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी (कार्यकर्ता विकास पर हमारे दस्तावेज के अनुसार)

18. आप केंद्र से क्या सहायता चाहते हैं? कृप्या केंद्र से मिली सहायता के बारे में अपने दृष्टिकोण रखें

सीआइटीयू जनरल काउंसिल कामरेड होमीदाजी के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है। कामरेड होमी दाजी सीआइटीयू प्रख्यात ट्रेड यूनियन नेता और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पूर्व महासचिव थे।
सीआइटीयू जनरल काउंसिल बैठक सभी गुजर गए नेताओं को श्रद्धांजली अर्पित करती है।
सीआइटीयू जनरल काउंसिल कामरेड हबीब तनवीर के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करता है। वे देश के प्रख्यात रंगकर्मी थे। उन्होंने अपने जीवन के छः दशक देश की परम्परागत संस्कृति व थिएटर के नाम कर दिए थे। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए तत्ववाद तथा कट्टरता का जोरदार विरोध किया था। वे अपने पूरे जीवन में मजदूर वर्ग के हितों के लिए लड़ते रहे। सीआइटीयू उनके देहांत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है।
सीआइटीयू जनरल काउंसिल सूरत और देश के अन्य भागों में रोजगार गंवाने और गरीबी के कारण लाखों मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं पर शोक व्यक्त करता है। सीआइटीयू उनके देहांत पर गहरा दुःख व्यक्त करता है।
सीआइटीयू कार्यकारिणी कमेटी जनवरी में हुई थी , उसके बाद सैंकडों लोगों की पश्चिम बंगाल में आए आइला तूफ़ान, केरल, असम और अन्य राज्यों में आई बाढ़ की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। हम उन सब की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं।

शहीदों को श्रद्धांजली

18 से 21 अगस्त 2009 को तिरूपति में हो रही यह सीआइटीयू की जनरल काउंसिल बैठक प्रगतिशील और जन आंदोलन के उन नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजली अर्पित करता जिन्होंनें देश की आम जनता और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए जानें कुर्बान कर दीं। वे हर प्रकार के शोषण के विरूद्ध हमारे मजूदर वर्ग के संघर्ष में एक प्रेरणा का स्त्रोत बनकर सदा जिवित रहेंगे।

यह जनरल काउंसिल बैठक पश्चिम बंगाल में माओवादियों, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस गूनस् द्वारा ट्रेड यूनियन एवं प्रगतिशील आंदोलन के नेताओं की दरूण हत्याओं की निंदा करती है। चुनाव के समय, चुनाव अभियान के दौरान आर चुनाव के पश्चात् वामपंथ एवं जनवादी आंदोलन के 200 से भी अधिक समर्थकों की हत्याएं कर दी गई हैं। हम उनकी हत्याओं पर गहरा शोक जताते हैं और हमारे देश में हो रहे इन लगातार हमलों का कड़ा विरोध करने की शपथ लेते हैं।

यह जनरल काउंसिल बैठक झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादियों द्वारा किए हमलों में निर्दोष जमता की मृत्यु पर गहरा दुःख जताती है।

हम असम में अलगाववादी ताकतों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मारे गए लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं।

यह जनरल काउंसिल बैठक काम के दौरान सैंकड़ों मजदूरों की विभिन्न दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु पर गहरा शोक और रोष व्यक्त करती है। चाहे यह दुर्घटना दिल्ली मेट्रों के निर्माण मजदूरों की हो या बोकारों में कोल माइंस में महिलाओं की हुई मृत्यु हो या लखानी शू फैक्ट्री हो या सिंगरौली की फैक्ट्री में हुई दुर्घटनाएं। हमेशा सरकार और भारतीय शासक वर्ग की मजदूरों की सुरक्षा के प्रति अनदेखी का हर्जाना मजदूर को अपनी जाने गवां कर भरना पड़ता है। हम मांग करते हैं कि इन दुर्घटनाओं के शिकारों को पूरा हर्जाना दिया जाए और सभी कार्यस्थलों पर आवश्यक सुरक्षा के उपकरण लगाए जाएं। हम ऐसे मजदूरों की मृत्यु पर हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं जो मालिकों के लालच और लापरवाही के शिकार हुए हैं।

Annexure:1

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSIP AS PER ANNUAL RETURNS RECEIVED TILL-08/08/2009

Name of the State	Unions Submitting Returns			Position of membership according to Annual Returns					
	2006	2007	2008	2006	Female	2007	Female	2008	Female
Andaman & Nicobar	8			3078					
Andhra Pradesh	618	569	251	450643	*99247*	309104	*99544*	104130	*8056*
Assam	78	73	3	53120	*22559*	54508	*21513*	4093	*1864*
Bihar	3	6	3	3870	*18*	16726	*10575*	5040	*66*
Delhi	79	80	48	32208	*1434*	32989	*1508*	22731	*989*
Goa	7	7		618	*17*	788	*47*		
Gujrat	22	22		13135	*1457*	13129	*1167*		
Himachal Pradesh	25	42	21	13448	*7274*	30089	*14422*	3403	*74*
Haryana	21	28	24	13625	*4277*	51362	*14105*	63564	*18064*
Jammu & Kashmir	1	6	1	276	*35*	5589	*98*	372	*32*
Karnataka	107	113	48	108743	*53426*	138046	*72968*	96871	*62174*
Kerala	766	648	133	1022167	*304802*	858551	*258047*	246234	*62908*
Madhya Pradesh	44	35		15709	*4090*	11247	*4279*		
Maharashtra	83	72	14	85220	*37256*	85533	*31948*	35396	*25584*
Orissa	66	44		81016	*25358*	41191	*3244*		
Punjab	78	57	13	72150	*14185*	60661	*13240*	41693	*11925*
Rajasthan	50	29	4	19643	*2320*	7776	*2*	2208	*4*
Tamilnadu	490	521	408	360463	*73770*	455214	*114227*	424811	*95249*
Tripura	35	37	24	139511	*45007*	137819	*47098*	123356	*39602*
Uttar Pradesh	64	39	1	15629	*490*	14070	*449*	101	
West Bengal	974	1233	727	1393357	*168317*	1878251	*288313*	1210200	*194079*
Uttaranchal	31	31		11066	*3071*	12944	*3688*		
Chhatishgarh	17	16		19052	*2495*	18729	*1843*		
Jharkhand	30	2		73273	*13401*	722	*180*		
Total	**3697**	**3710**	**1723**	**4001020**	***884306***	**4235038**	***1002505***	**2384203**	***520670***

Year	No. of Unions		Membership
1983	1854		1890993
1984	2005		1575655
1985	1717		1716457(132536)
1986	2412		1844273(209348)
1987	2350		1680884(206482)
1988	2618		1919280(264507)
1989	3114		2425000(247388)
1990	2934		2095550(245060)
1991	2783		2088218(291228)
1992	3343		2381012(321620)
1993	3156		2371405(306344)
1994	3198		2470131(261980)
1995	3523		2784050(358188)
1996	3645		2805127(435285)
1997	3804		2917200(506097)
1998	3502		2881478(483373)
1999	3929		3296808(550583)
2000	3771		3126943(646678)
2001	3787		3150673(600407)
2002	4162		3463362(679694)
2003	3904		3331973(636651)
2004	3969		3541859(728820)
2005	4061		3986622 (898186)

Com Yamuna
09448729360

Com Prasanna Kumar
09448219118

Annexure:2

COM. P.RAMAMOORTI T.U. SCHOOL FUND as on 08.08.2009

CITU, Goa State Committee	Rs.1,206.00
CITU, U.P. State Committee	Rs.32,460.00
CITU, A.P. State Committee	Rs:245,399.00
CITU, Chhatishgarh State Committee	Rs.4,151.00
CITU, Tripura State Committee	Rs.10,000.00
CITU, M.P. State Committee	Rs.14,274.00
CITU, Karnataka State Committee	Rs.59,424.00
CITU, Kerala State Committee	Rs.1,022,143.00
CITU, Punjab State Committee	Rs.76,247.00
CITU, Tamilnadu State committee	Rs.721,150.00
CITU, J & K State Committee	Rs.1,240.00
CITU, Orissa State Committee	Rs.14,491.00
CITU, Haryana State Committee	Rs.35,040.00
CITU, Assam State Committee	Rs.15,000.00
CITU, West Bengal State Committee	Rs.500,000.00
CITU, Jharkhand State Committee	Rs.6,500.00
CITU, Gujrat State Committee	Rs.1,000.00
CITU, Maharashtra State Committee	Rs.20,000.00
CITU, Delhi State Committee	Rs.16,687.00
Colliery Mazdoor Sabha of India, W.B.	Rs.100,000.00
Association of SAIL Employees, Kolkata, W.B.	Rs.20,000.00
2nd World Conference of Oil, Gas, Refinary Trade Union	Rs.700,000.00
Central Zone Insurance Employees Association, Chhatishgarh	Rs.10,000.00
Com. E.Balanandan	Rs.11,111.00
Com. R.Vaigai	Rs.50,000.00
TOTAL	Rs.3,687,523.00